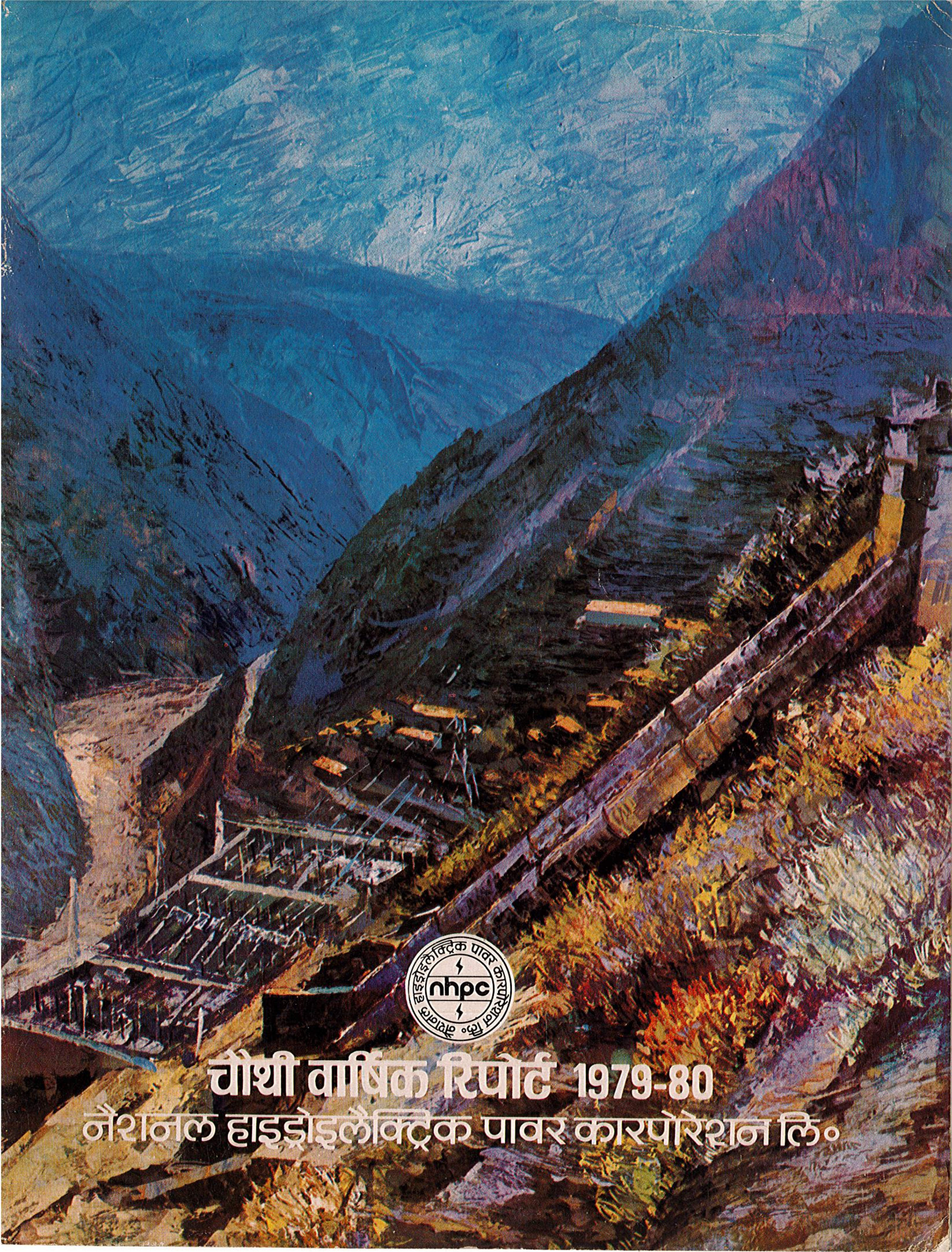

चौथी वार्षिक रिपोर्ट 1979-80

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०

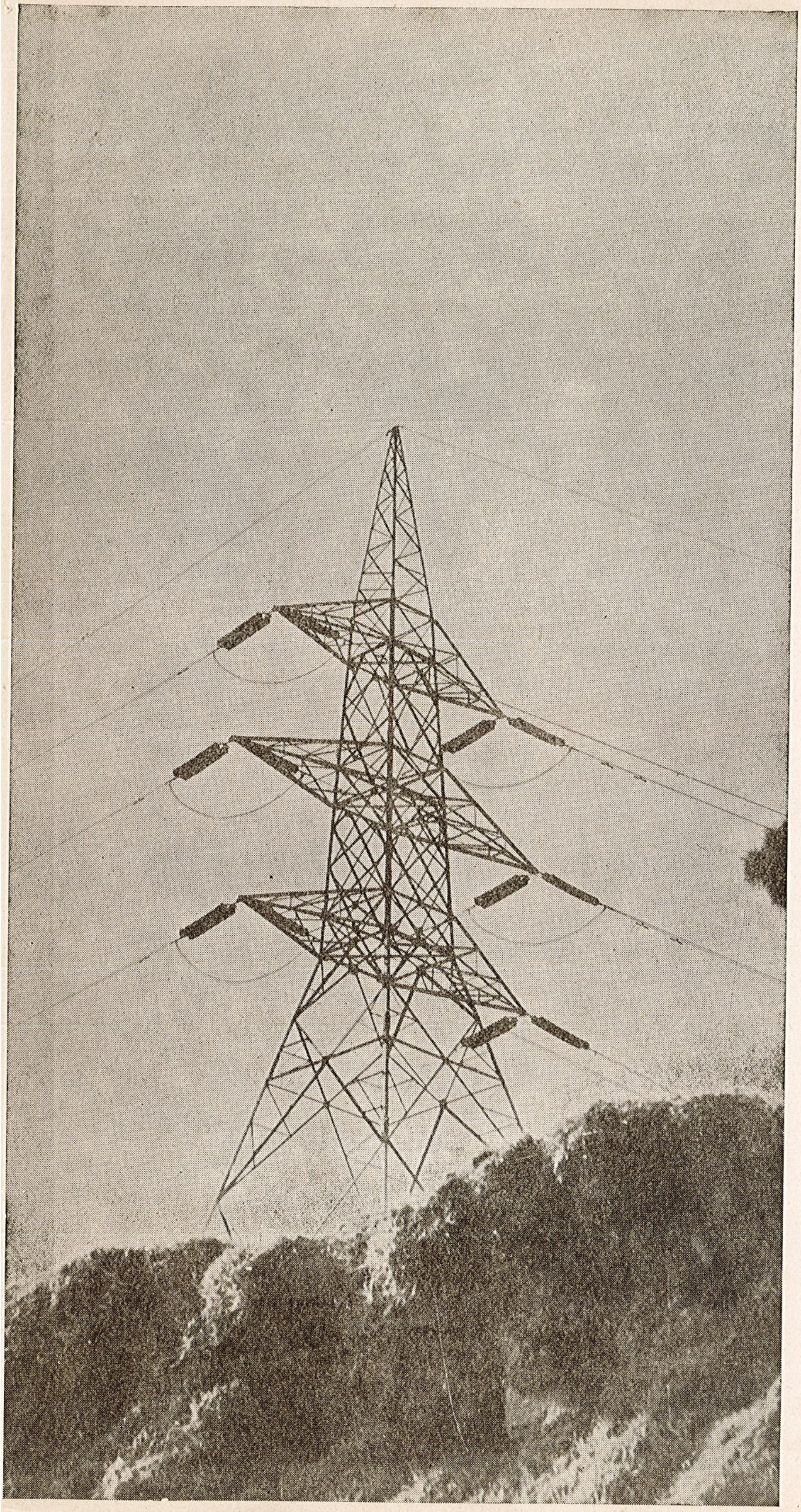

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०

विषय सूची :

	पृष्ठ
निदेशक बोर्ड	2
नोटिस	3
अध्यक्षीय भाषण	4
निदेशकों की रिपोर्ट	6
लेखे	30
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	56
भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियाँ	59

आवरण चित्र :
बैरा-स्यूल कम्पलैक्स—एक कलाकार की दृष्टि में

नैशनल
हाइड्रोइलैक्ट्रिक
पावर
कारपोरेशन लि०

निदेशक बोर्ड :

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक :	मेजर जनरल टी0वी0 जगन्नाथन (12-6-1980 तक)
	श्री पी0 एम0 बेलिअप्पा (13-6-1980 से)
निदेशकगण	श्री वी0 सुब्रामनियन श्री के0 एस0 सुब्रह्मणयम (6-1-1980 तक) श्री एस0 एन0 रॉय (19-5-1980 तक) श्री ए0 एन0 सिंह श्री एस0 बी0 मजूमदार (10-9-1979 तक) श्री डी0 राजागोपालन
सचिव	श्री एन0 वी0 रामन
लेखा परीक्षक	मैसर्स आर0के0 खन्ना एण्ड कं0 बी07/3 आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002.
बैंकर्स	स्टेट बैंक आफ इण्डिया
पंजीकृत कार्यालय	"मंजूषा" 57, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

नैशनल
हाइड्रोइलैक्ट्रिक
पावर
कारपोरेशन लि०

नोटिस :

सूचित किया जाता है कि नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि0 की चौथी वार्षिक साधारण बैठक निम्नलिखित कार्य करने के लिए सोमवार, 29 सितम्बर, 1980 को दोपहर 12.00 बजे निगम के पंजीकृत कार्यालय "मंजूषा" 57, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 में होगी ।

सामान्य कार्य :

31-3-1980 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के लेखा परीक्षित लेखों, लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट तथा उस पर निदेशकगण की रिपोर्ट सहित, को प्राप्त एवं स्वीकार करना ।

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि0
के निदेशकों के बोर्ड के आदेश से

(एन0 वी0 रामन)
कम्पनी सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 26 अगस्त, 1980

नोट : कोई भी सदस्य जिसे बैठक में उपस्थित होने व मत देने का अधिकार है, अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को परोक्षी के रूप में बैठक में उपस्थित होने व मत देने का अधिकार दे सकता है । परोक्षी का कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है ।

नैशनल
हाइड्रोइलैक्ट्रिक
पावर
कारपोरेशन लि०

अध्यक्षीय भाषण

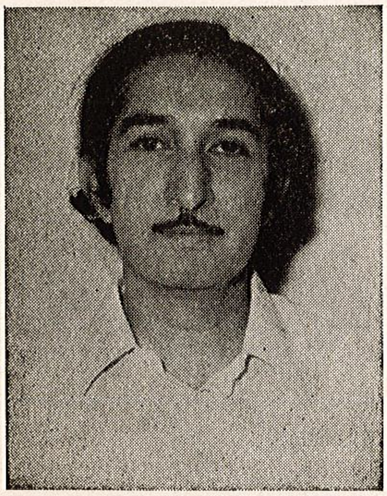

सज्जनों,

मुझे नैशनेनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन की चौथी साधारण वार्षिक बैठक में आपका स्वागत करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। निगम के 1979-80 हेतु लेखा परीक्षित लेखे तथा निदेशक वर्ग की रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट आपके मनन एवं गृहणार्थ प्रस्तुत है।

2. इससे पहले कि मैं निष्पादनाधीन परियोजनाओं की प्रगति का लेखा-जोखा आपके सामने रखूं, हमें इस बात को याद रखना होगा कि नई सरकार जिसने वर्ष के आरम्भ में कार्यभार संभाला है, ने हाइड्रो सेक्टर पर अधिक जोर देने की आवश्यकता को मान्यता देकर उचित ही किया है। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि इस क्षेत्र में देश के उपलब्ध विपुल भण्डारों को काम में लाया जा सके। वर्ष 1984-85 तक इस तन्त्र में लगभग 20262 मेगावाट की वृद्धि की जानी है। इसमें से केवल 5114 मेगावाट ही हाइड्रो क्षेत्र से दिया जा सकता है। ताप एवं जल क्षमता के मध्य के इस असन्तुलन की गम्भीरता को महसूस करते हुए प्रधानमन्त्री ने निदेश दिए हैं कि इस स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। परन्तु भविष्य में किसी परिवर्तन या सुधार की योजना शीघ्र ही होनी चाहिए तथा इस दिशा में तुरन्त शुरुआत करनी होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में एन. एच. पी. सी. देश के विपुल जल साधनों को काम में लाने में राज्यों के प्रयासों में सहयोग देने में उत्तरोत्तर ज्यादा भूमिका अदा करने का इच्छुक है।

3. मुझे यह बताते हुए खुशी है कि बैरा स्यूल परियोजना के यूनिट नं० 1 और 2 को आजमायशी आधार पर चलाए गए हैं और स्यूल नदी के उपलब्ध पानी से लगभग 180.35 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं इस परियोजना को बहुत ही गम्भीर प्राकृतिक विपदाओं का सामना करना पड़ा जिससे इसको पूरा करने का कार्यक्रम काफी प्रभावित हुआ। मैं अधिकारियों, स्टाफ तथा कर्मचारियों को इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि वे इस परियोजना को वर्तमान अवस्था तक ले आए जब कि इसकी पूर्ति एक सपना न होकर वास्तविकता बन गई है। महत्वपूर्ण निवेशों जैसे रेडियल फाटक और सीमेंट का लगातार मिलते रहना आदि की समय पर पूर्ति होने से मुझे विश्वास है कि 1981 के मध्य तक बैरा स्यूल परियोजना हर तरह से पूरी हो जाएगी।

4. लोकतक में प्रगति लगातार बनी हुई है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हैडरेस टनल का लगभग 1400 मीटर हिस्सा अभी पूरा होना है। आलोचनाधीन अवधि के दौरान फेस 4 और 5 से सुरंग खनन का कार्य 64.25 मीटर प्रतिमास की औसत दर से प्राप्त हो रहा है, जो कि बहुत ही गम्भीर बात है। महा प्रबन्धक को विश्वास है कि इसे 100 मीटर प्रतिमास तक बढ़ा दिया जाएगा और यदि सुरंग के भीतर समुचित परिस्थितियाँ रहीं तो मुझे विश्वास है कि नवम्बर, 1981 की समाप्ति तक सुरंग खनन का कार्य पूरा हो जाएगा।

5. आप सलाल के हालात जानने के इच्छुक होंगे। आपको याद होगा कि वहाँ पर भूवैज्ञानिक समस्याओं के सन्तोषजनक समाधान के अभाव में कंक्रीट बाँध पर कार्य रुक गया था, अब इन समस्याओं पर काबू पा लिया गया है। इस मामले में परियोजना, कारपोरेट मुख्यालय तथा केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों के मध्य गम्भीर एवं सक्रिय बातचीत चल रही है। मैं काफी आशावान हूं कि समस्या का हल होने ही वाला है और कि बहुत शीघ्र परियोजना में फिर चहल-पहल शुरू हो जाएगी। सलाल के बारे में ही मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात कहना चाहता हूं और जो मेरे विचार से हाइड्रो सेक्टर के विकास की गति को रोकने के कारणों में से एक है। वह है समय और लागत की बढ़ोत्तरी जो कि सलाल में देखने को

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०

मिली और इतनी सीमा में दिखाई दी जो कि हतोत्साहित सा करने वाली लगती है। यह तो मानना ही होगा कि हिमालय पर्वतों में सलाल परियोजना अपनी किस्म की पहली परियोजना है और जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा है उस सबसे हमारे इंजीनियरों को भूविज्ञान के क्षेत्र में अनुभव में परिपक्वता प्राप्त हुई है, और इन समस्याओं को सुलझाने में इंजीनियरी की दृष्टि से भी समाधान सामने आए हैं। इससे भी अधिक शक्ति को उपयोग में लाने के और बड़े कार्यक्रम हाथ में लिए जा रहे हैं। सलाल में हमें जो अनुभव हुआ है हम उससे अपनी गतिविधियाँ रोकने वाले नहीं हैं। हमें इसको एक ऐसा उत्तम अनुभव मानना है जिससे कि ऐसे पाठ प्राप्त हुए हैं जो भविष्य में इसी प्रकार की और परियोजनाओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगी।

6. नेपाल में देवीघाट परियोजना में शुरू-शुरू में भूमि प्राप्त करने में देरी के बाद वह सन्तोषजनक ढंग से चल रही है।

7. जम्मू-कश्मीर, बिहार तथा हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने अपने-अपने राज्यों की दुलहस्ती (390 मेगावाट), कोयल कारो (710 मेगावाट) तथा कोल डैम (600 मेगावाट) परियोजनाएँ एन.एच.पी.सी. के माध्यम से केन्द्रीय सेक्टर में निष्पादनार्थ सौंपने की सहमति व्यक्त की है। इससे भी एन. एच. पी. सी. का भाग्य चमका है। मैं माननीय मुख्य मंत्रियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एन. एच. पी. सी. को अपने विश्वास योग्य माना। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात के लिए राज़ी हो गए हैं कि एन. एच. पी. सी. उनके राज्य में पारवती (1900 मेगावाट) और चमेरा (640 मेगावाट) परियोजनाएँ अन्वेषण एवं निष्पादनार्थ हाथ में ले सकता है।

8. जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन में अन्वेषण कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि एन. एच. पी. सी. की अन्वेषणीयता क्षमताओं को सुदृढ़ एवं सशक्त करने के लिए कदम उठाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश की इन दो परियोजनाओं के मिल जाने से एक संगठित ढंग से गतिविधियाँ जारी रखने के लिए पर्याप्त आधार मिल जाएगा। विश्व बैंक ने इस प्रकार के कार्यक्षेत्र में एन. एच. पी. सी. की सहायता करने में रुचि जाहिर की है और हमें आशा है कि उनके साथ बातचीत और गम्भीरतापूर्वक आगे बढ़ेगी। अन्ततोगत्वा यह सम्भव है कि अन्वेषण के क्षेत्र में एन. एच. पी. सी. की सेवाएँ एक राष्ट्रीय सुविधा के तौर पर उपयोग में आए।

9. मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले अपने सहयोगियों को आश्वासन देना चाहूंगा कि बढ़ते हुए कार्य को सम्भालने में एन. एच. पी. सी. की क्षमता के बारे में किसी प्रकार की आशंका की आवश्यकता नहीं है। मैंने परियोजनाओं की प्रगति के प्रभावी मॉनिटरिंग की एक प्रणाली चालू की है। कारपोरेट मुख्यालय में, एक स्वतन्त्र परियोजना मॉनिटरिंग तथा सेवा यूनिट स्थापित किया गया है और प्रत्येक परियोजना महा प्रबंधकों के अधीन ऐसे ही यूनिट होंगे ताकि परियोजना तथा कारपोरेट मुख्यालय के मध्य संचार निरन्तर एवं सीधा बना रहे। समय पर काम पूरा करने पर बराबर जोर दिया जा रहा है।

10. मैं अपने माननीय मंत्री श्री ए.बी.ए. गनीखाँन चौधरी तथा राज्य मंत्री माननीय श्री विक्रम महाजन का उनसे प्राप्त प्रचुर सहायता जो हमारे लिए प्रोत्साहन का स्रोत रही, के लिए बहुत आभारी हूं। हमारे आदरणीय सचिव श्री डी. वी. कपूर जिनका विस्तृत तथा गहन अनुभव है, हम वैसे भी सौभाग्यशाली हैं कि हमें विस्तृत तथा गहन अनुभवधारी श्री डी. वी. कपूर आदरणीय सचिव के रूप में मिले। हम बराबर उनके मार्ग-दर्शन की अपेक्षा करते हैं। मैं कारपोरेट मुख्यालय के तथा फील्ड में कार्यरत सभी सहयोगियों को अपनी शुभ कामनाएँ भेजता हूं तथा उनसे अपील करता हूं कि वे इस अच्छे कार्य को बनाए रखें। हाइड्रो सेक्टर की सफलता परियोजना के समय पर पूरा होने पर निर्भर करती है और उस दृष्टि से कोई कसर बाकी न छोड़ी जाए।

नई दिल्ली
29 सितम्बर, 1980

पी. एम. बेलिअप्पा

पी. एम. बेलिअप्पा
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०

शेयरधारियों के लिए निदेशकों की रिपोर्ट

सज्जनो,

मुझे बहुत खुशी है कि मैं निदेशकों की ओर से कॉरपोरेशन के कार्यकलापों की चौथी वार्षिक रिपोर्ट आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें 31 मार्च, 1980 को समाप्त हुए वर्ष का परीक्षित लेखा शामिल है।

2. **कार्यवाहियाँ :**

जल विद्युत परियोजनाएँ :

(क) इस वर्ष के दौरान, कॉरपोरेशन ने लोकतक, बैरा स्यूल, सलाल और देवीघाट जल विद्युत परियोजनाओं का कार्य जारी रखा। स्वामित्व के आधार पर सलाल परियोजना को कॉरपोरेशन को हस्तांतरित करने की औपचारिकता को भी अन्तिम रूप दिया जाना था, इसलिए कॉरपोरेशन ने भारत सरकार की ओर से "एजैंसी आधार" पर परियोजना के कार्य को जारी रखा।

(ख) **ट्राँसमिशन लाइनें :**

कॉरपोरेशन ने राज्य सरकार/नैशनल थरमल पावर कॉरपोरेशन की ओर से विभिन्न ट्राँसमिशन लाइनों से सम्बन्धित अपना कार्य जारी रखा। इसके अलावा कॉरपोरेशन के द्वारा अन्य ट्राँसमिशन लाइनों से सम्बन्धित कार्य भी जारी था।

3. **परियोजनाओं की मोटी-मोटी बातें :**

मुझे यह सूचित करते हुए खुशी है कि वर्ष 1979-80 कॉरपोरेशन के कार्यकलापों में लगातार वृद्धि का वर्ष था। इस वर्ष के दौरान कॉरपोरेशन ने हाइड्रोइलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट / ट्राँसमिशन लाइनों का जो काम हाथ में लिया उसमें कुछ मानदण्ड स्थापित किए जो संक्षेप में नीचे दिए गए हैं :—

(i) **बैरा स्यूल परियोजना :**

बैरा स्यूल हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना के यूनिट I और II के मैकेनिकल रन पूरे किए गए। नदी डाइवर्शन का कार्य पूरा किया गया और बाँध स्थल पर बैरा नदी को डाइवर्शन सुरंग द्वारा डाइवर्ट किया गया।

(ii) **सलाल परियोजना :**

इस वर्ष के दौरान डाइवर्शन सुरंग कमीशन की गई। चिनाब नदी का आँशिक डाइवर्शन इस सुरंग में से किया गया।

(iii) **लोकतक परियोजना :**

हैड रैस सुरंग के iv और v नाजुक फेसों में रिकार्ड बोरिंग की गई।

(iv) **देवीघाट परियोजना :**

त्रिशूली नदी के दक्षिणी किनारे की जमीन पर परियोजना के मुख्य कॉम्प्लेक्स बनाए जाने हैं, एच. एम. जी. नेपाल द्वारा इस जमीन का हस्ताँतरण फरवरी, 1980 में शुरू हुआ।

(v) **ट्रांसमिशन लाइनें :**

(क) गंगटोक पर 66/11 के. वी. सब-स्टेशन जून 1979 में पूरा हुआ और इस सब-स्टेशन को अब लोअर लग्यप जल-विद्युत परियोजना से बिजली मिल रही है।

(ख) गंगटोक से डिक्चू तक 66 के. वी. सिंगल सर्किट ट्राँसमिशन लाइन का काम दिसम्बर 1979 में पूरा किया गया।

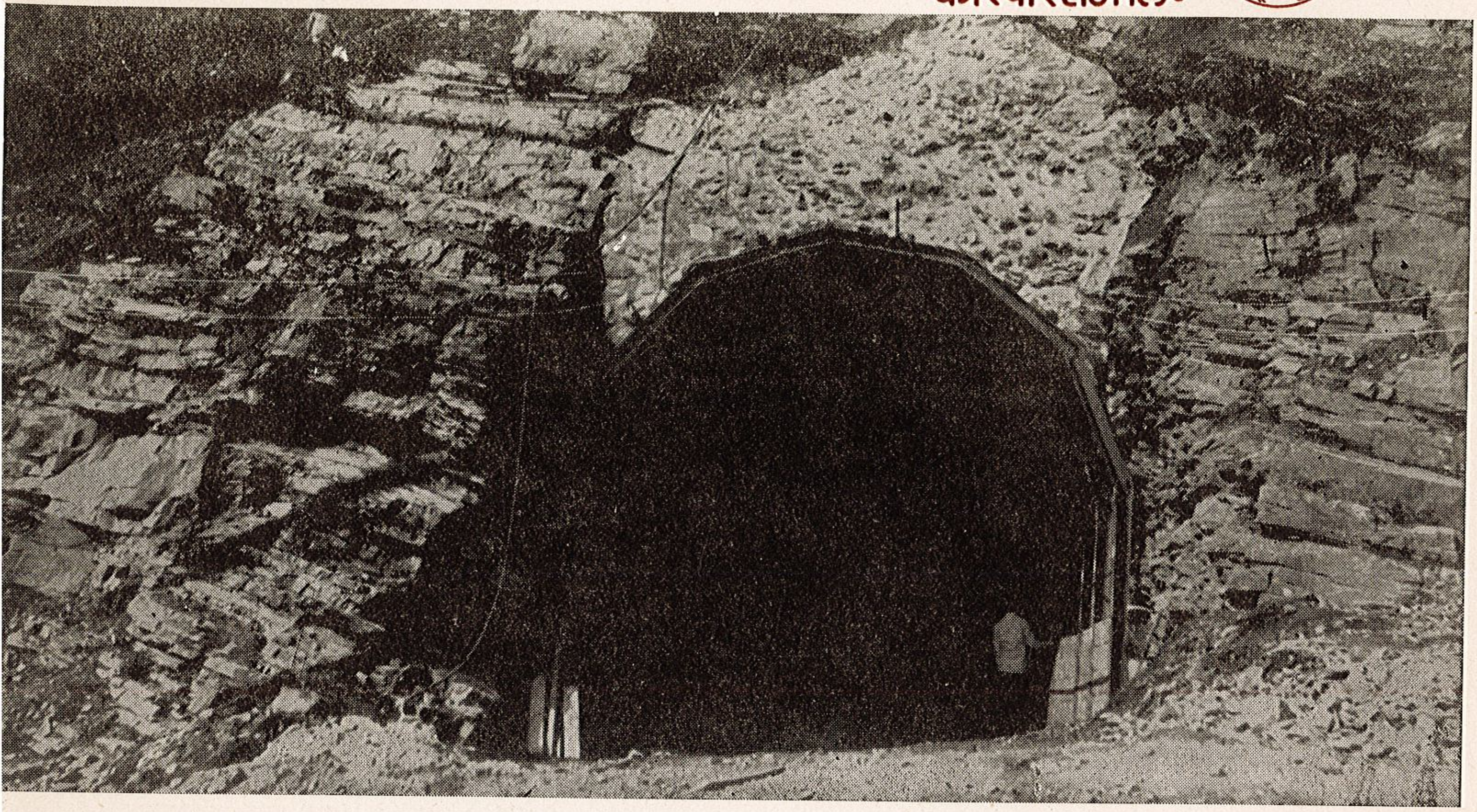

निर्माणाधीन सुरंग 2 का फेस 3 (देवीघाट)

4. **वर्ष के दौरान हुई प्रगति :**

4(क) **लोकतक जल-विद्युत परियोजना** (3×35 मेगावाट)

(1) **इथाई बैराज** : हाइड्रोमैकेनिकल कार्य समेत सभी कार्य पूरे किए जा चुके थे ।

(2) **खुली चैनल** : कुछ संशोधन कार्य को छोड़कर कुल 2270 मीटर लम्बाई पूरी हो गई थी ।

(3) **कट और कबर भाग :**

1073 मीटर की कुल लम्बाई में से 1017 मीटर लम्बाई पूरी की जा चुकी थी । इस कार्य को मार्च, 1980 में पूरा करने की योजना थी परन्तु हल्के डीजल तेल, हाई स्पीड डीजल तेल और सीमेंट की कमी तथा मणिपुर और असम में आन्दोलन के कारण इस कार्य को धक्का पहुँचा ।

(4) **हैड रेस सुरंग :**

इस परियोजना को पूरा करने में सुरंग बनाने का कार्य सबसे नाजुक है । इस वर्ष के दौरान अधिकतम प्रगति के लिए हर संभव प्रयास किए गए । वर्ष के अन्त तक बोरिंग के कुल कार्य में से 72 प्रतिशत पूरा किया गया ।

(i) **हैडरेस सुरंग का पावर चैनल फेस :**

पावर चैनल फेस को विभागीय तौर पर अगस्त 1978 में हाथ में लिया गया था और मार्च 1980 के अन्त तक 167.40 मी० की नियोजित लम्बाई का बोरिंग कार्य पूरा हो गया ।

(ii) **पहुंच** 0-1 :

सुरंग की इस पहुंच का कार्य भी विभागीय तौर पर हाथ में लिया गया । धरती के बह

जाने वाली स्थिति तथा खराब भूविज्ञान के कारण इस फेस में कठिनाई अनुभव की गई। फिर भी अब तक पूरी पहुंच की 665 मी० लम्बाई का बोरिंग कार्य पूरा हो चुका है।

(iii) **पहुंच 2-3 और 6-7 से सम्बन्धित कार्य :**

यह कार्य मैसर्ज पटेल इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा पूरा किया गया। इन फेसों में खुदाई का काम अगस्त, 1978 में पूरा हो गया था और लाइनिंग कार्य भी लगभग पूरा हो गया था।

(iv) **पहुंच** 4-5

सुरंग की यह पहुंच सबसे अधिक कठिन है। 3825 मी० की कुल लम्बाई में से 1986 मी० लम्बाई की खुदाई की जा चुकी है। वर्ष के दौरान जनवरी, 1980 में इस पहुंच में 122 मी०/माह की खुदाई का रिकार्ड कायम किया गया। इस वर्ष के दौरान इस पहुंच में 771.04 मी० की खुदाई की गई। इस पहुंच में लाइनिंग आधुनिकतम कन्टीन्यूअस पौर तकनीक द्वारा करने की योजना है जिसके लिए आयात किये जाने वाले उपस्कर के लिये पहले ही आर्डर दिये जा चुके हैं। भारत में इस तकनीक को अपनाने वालों में भी आपका निगम अग्रणी होगा।

(5) **पेनस्टाक :**

पेनस्टाक के उत्थापन में मार्च, 1980 तक लगभग 89.30 प्रतिशत प्रगति हुई।

(6) **बिजली घर :**

सभी तीनों यूनिटों का सिविल कार्य पूरा किया जा चुका था।

(7) **विद्युत-कार्य :**

उत्थापन :

(क) यूनिट-I) पहले से ही बाक्स किये।

(ख) यूनिट-II) पहले से ही बाक्स किये।

(ग) यूनिट-III) उत्थापन पूरा हुआ था।

सहायक कार्य :

आग से लड़ने वाले उपकरण का उत्थापन प्रगति पर था।

132 के वी स्विच यार्ड :

मेन/ट्रान्सफॉर्मर बस बार से उपकरण का जम्पर कनैक्शन प्रगति पर था।

(8) **कमीशन करने का कार्यक्रम :**

परियोजना को मार्च, 1982 तक चालू करने का कार्यक्रम है।

4 (ख) बैरा स्यूल जल-विद्युत परियोजना (3x60 मेगावाट)

(1) **प्रथम चरण**

बिजली घर, स्विच यार्ड, वाल्व हाउस, पेनस्टाक नं० 1 और 2, सर्ज शाफ्ट, स्यूल बीयर काम्प्लैक्स और स्यूल से सर्ज शाफ्ट तक हैड रेस सुरंग का निर्माण तथा अन्य सम्बन्धित कार्य फरवरी, 1980 के अन्त तक पूरे हो गए थे और जल संचालक तन्त्र, जेनरेटिंग यूनिटों और अन्य बिजली घर उपकरणों का परीक्षण शुरू किया गया। 220 के. वी. दोहरे सर्किट ट्राँसमिशन लाइन के एक सर्किट को भी 200 के. वी. पर सफलतापूर्वक चार्ज किया गया। यूनिट I और II का मैकेनिकल रन 29-3-1980 तक पूरा किया गया।

(2) **द्वितीय चरण**

द्वितीय चरण के निर्माण में बैरा रॉकफिल बाँध, कंक्रीट, स्पिलवे, इनलेट से स्यूल तक हैड रेस सुरंग, इनटेक संरचना, भालेद बीयर और भालेद सुरंग का कार्य प्रगति पर है। 1979-80 के अन्त तक इन कार्यों

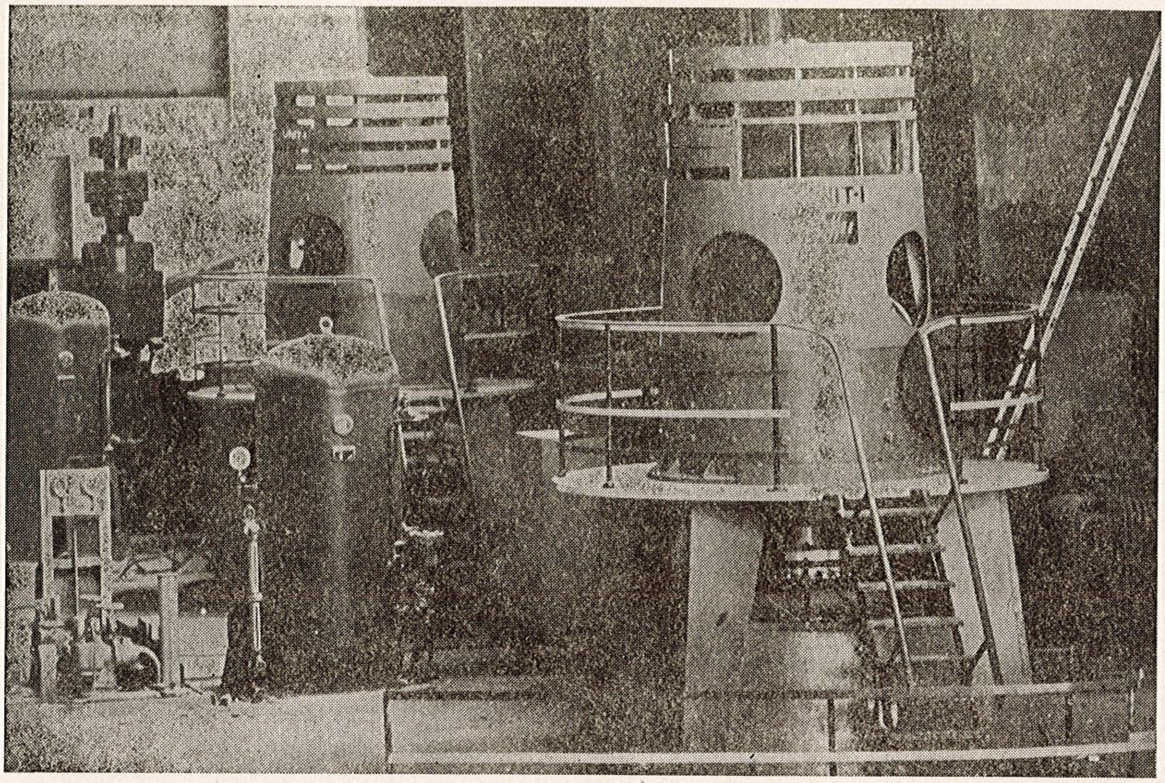

पावर हाउस का भीतरी दृश्य (बैरा-स्यूल)

में प्राप्त की गई सफलता की खास बातें नीचे दी गई हैं :—

(i) **बैरा बांध :**
शीत में अभूतपूर्व वर्षा और हिमपात के परिणाम स्वरूप बैरा काम्प्लैक्स के कार्य में हुई बाधा का पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में वर्णन किया गया था और यह बताया गया था कि बकाया कार्यों को 1979-80 के दौरान पूरा करने के लिए हर संभव प्रयत्न किये जाएँगे। यह काफी सन्तोषजनक बात है कि बैरा स्यूल परियोजना के कर्मचारियों के रात-दिन के सामूहिक प्रयत्नों से डाइवर्शन सुरंग नं० I और डाइवर्शन सुरंग नं० II को जोड़ने वाली नदी डाइवर्शन प्रणाली का काम सफलतापूर्वक पूरा किया गया और 20 मार्च, 1980 को बैरा नदी को डाइवर्शन प्रणाली द्वारा मोड़ा गया। डाइवर्शन प्रणाली द्वारा नदी के बहाव को मोड़ने पर बैरा रॉकफिल बाँध की फाउन्डेशन ट्रीटमेंट का काम शुरू किया गया जिसमें ड्रिलिंग और ग्राउटिंग शामिल है।

(ii) **स्पिलवे :**
कंक्रीट स्पिलवे का निर्माण कार्य पूरा होने की अवस्था में था।

(iii) इनटेक संरचना और इनलेट से स्यूल तक हैडरेस सुरंग का निर्माण कार्य भी प्रगति पर था।

(iv) **भालेद डाइवर्शन सुरंग :**
इसका 75 प्रतिशत तक निर्माण कार्य पूरा हो चुका था।

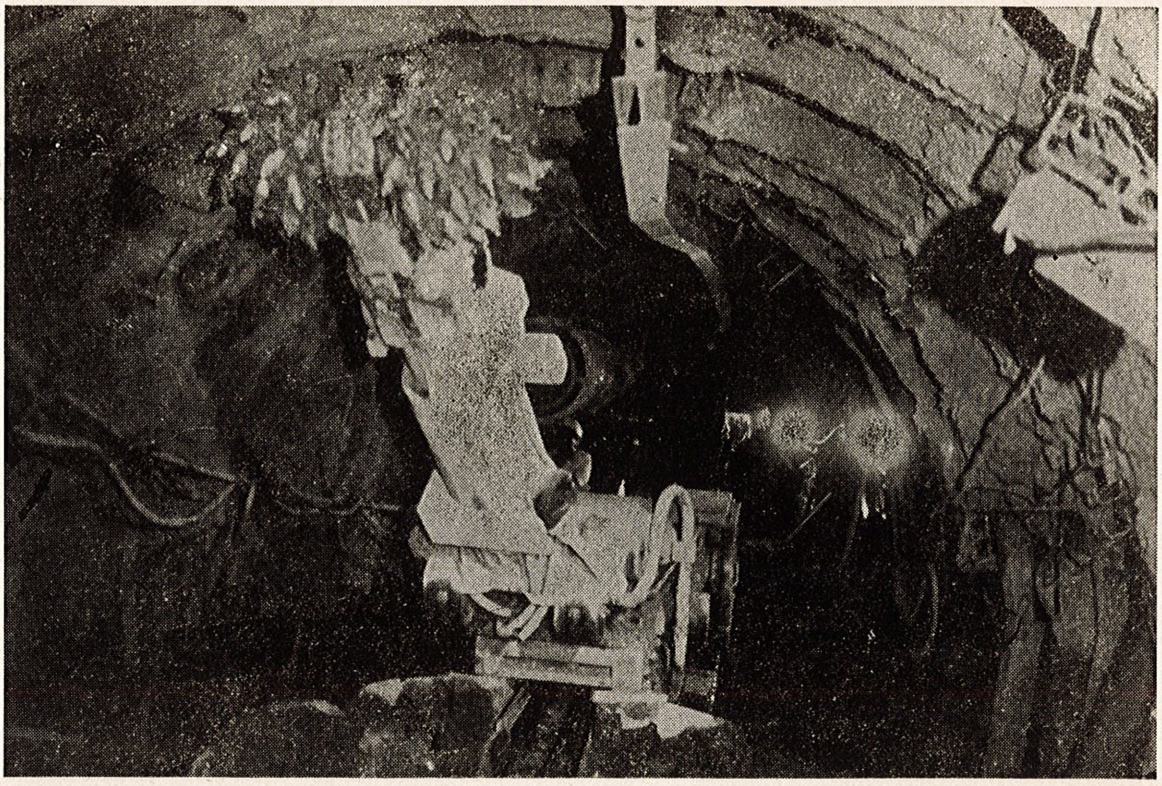

अल्पाइन माइनर कार्यरत (लोकतक)

(v) **भालेद फीडर सुरंग :**

सुरंग खुदाई का लगभग 90 प्रतिशत और कंक्रीट लाइनिंग का 25 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका था। मैसर्ज नैशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कॉर-पोरेशन लिमिटेड के निर्माणाधीन इस कार्य के निर्माण में प्रगति लाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए तथा परियोजना के द्वितीय चरण को पूरा करने का काम नाजुक है।

(3) **विद्युत-कार्य :**

यूनिट-III :

स्पाइरल केसिंग, रनर, गाइड उपस्कर की असैम्बली और जेनरेटर स्टेटर टुकड़ों की असैम्बली के काम पूरे हो चुके थे। स्टेटर छड़ों का काम प्रगति पर था। स्वचालित वोल्टेज नियंत्रित प्रणाली और यूनिट कंट्रोल बोर्ड का उत्थापन पूरा हो चुका था। ए. सी. / डी. सी. का काम भी पूरा किया जा चुका था। गोलाकार वाल्वों और इससे सम्बन्धित उपकरणों का असैम्बली और उत्थापन तथा मुख्य और पाइलट एक्साइटरों के स्टेटरों की स्थापना के कार्यों में प्रगति थी।

(4) **पूरा करने का कार्यक्रम :**

परियोजना की दो यूनिटों को मई, 1980 में परीक्षण के तौर पर चलाया गया। परियोजना को जून, 1981 में पूरा करने की योजना है, हालाँकि मौजूदा हालतों को देखते हुए समय की इस पाबन्दी को निभाना बहुत मुश्किल है।

4 (ग) **सलाल जल-विद्युत परियोजना** (3x115 **मेगावाट**)

(1) **डाइवर्शन सुरंग :**

डाइवर्शन सुरंग का निर्माण कार्य फरवरी, 1980 के अन्त तक पूरा हो गया था। 2 अप स्ट्रीम फाटकों के सेट का शुष्क परीक्षण करने के पश्चात् 6 मार्च, 1980 को चिनाब नदी के पानी को सुरंग

में से बहने दिया गया। डाउनस्ट्रीम फाटकों का दूसरा जोड़ा भी खड़ा किया जा चुका है। इन फाटकों को काम में लाने के लिए एक 100 टन का हॉइस्ट प्राप्त किया जा चुका था तथा खड़ा किया जा रहा था।

(2) **रॉकफिल बाँध :**

बाँध की नींव की खुदाई और स्ट्राइपिंग का लगभग 60 प्रतिशत काम पूरा किया जा चुका था। एक मिट्टी का बाँध बना कर और नदी बहाव की चौड़ाई कम करके इस कार्य के क्षेत्र को बढ़ा दिया गया था। फाउन्डेशन ट्रीटमेंट का कार्य भी प्रगति पर था जिसमें शीयर क्षेत्र की खुदाई, कंक्रीट करना, ड्रिलिंग और ग्राउटिंग शामिल हैं और मार्च, 1980 तक प्री-डाइवर्शन चरण में किए जाने वाले कार्य का क्रमशः 90 प्रतिशत और 50 प्रतिशत भाग पूरा किया जा चुका था। इसके साथ-साथ प्री-डाइवर्शन मात्रा का 50 प्रतिशत तक फिल प्लेसमेंट पूरा किया गया और अग्रिम कार्य के रूप में फिल्टर, अपारगम्य तथा पारगम्य पदार्थों की अतिरिक्त मात्रा स्टाकपाइलिंग की जा रही थी ताकि जैसे ही कौर बेस ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है वैसे ही फिल प्लेसमेंट के काम को बड़े पैमाने पर शुरू किया जा सके।

(3) **कंक्रीट बाँध :**

(i) **कंक्रीट अधिप्लवन-मार्ग (स्पिलवे) :**

स्पिलवे ब्लॉक के कंक्रीट का काम जारी था और वर्ष के दौरान 53400 घन मीटर कंक्रीट डाली गयी। छः अन्डर-स्लूइसों के लिए घुसेड़े गये भागों के साथ-साथ स्टील लाइनर खड़े किए जाने का काम प्रगति पर था और वर्ष के दौरान लगभग 70 प्रतिशत उत्थापन कार्य पूरा हो चुका था।

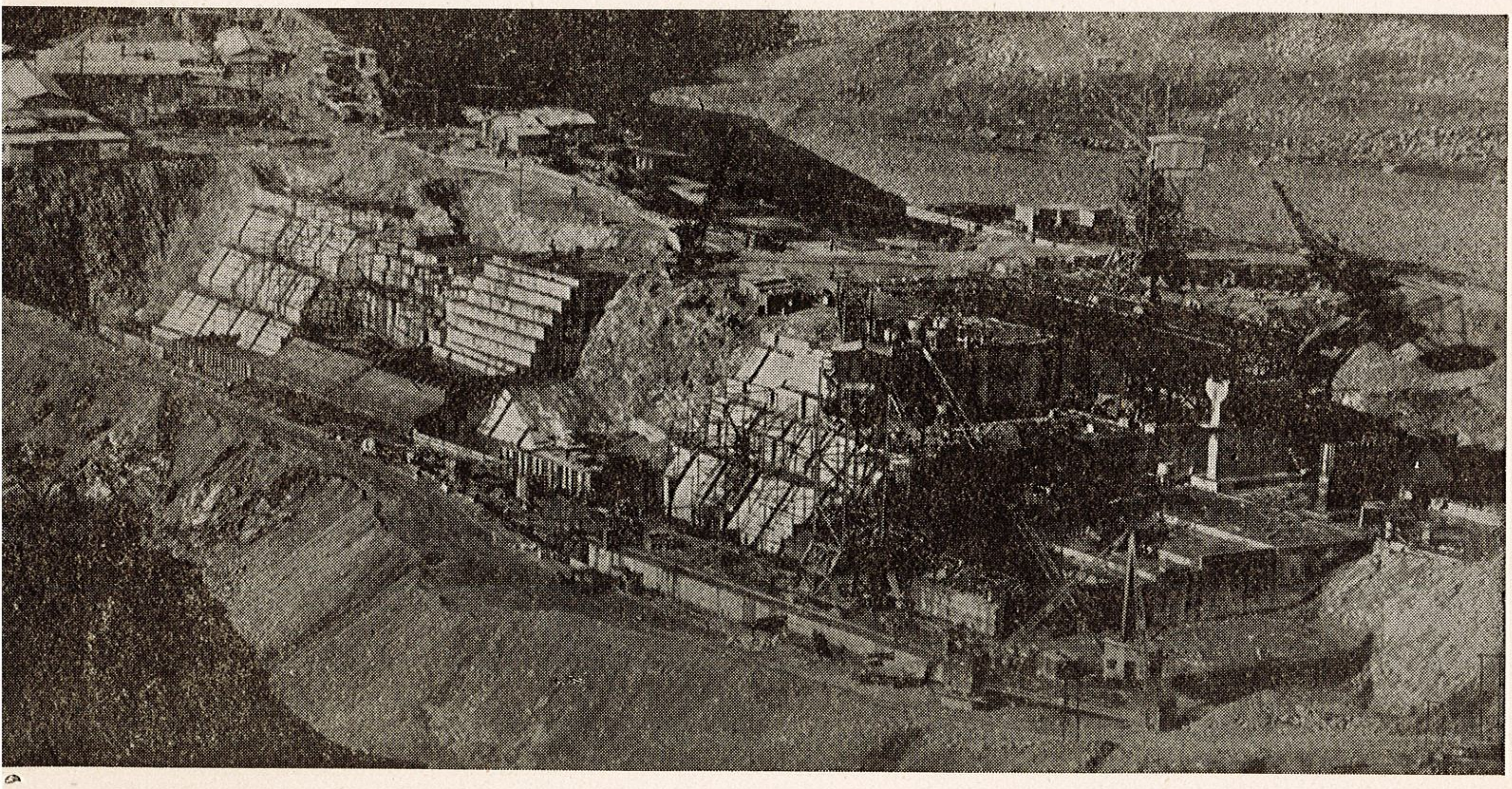

निर्माणाधीन कंक्रीट बाँध (सलाल)

(ii) **पावर बांध :**

पावर बाँध ब्लॉक के फाउन्डेशन ट्रीटमेंट के डिजाइन कई गंभीर समस्याएँ सामने ला रहे हैं। केन्द्रीय जल आयोग और सलाल तकनीकी सलाहकार समिति नामक दोनों डिजाइनरों को इन समस्याओं का उपयुक्त हल खोजने के लिए लगाया गया। इस बीच 16 से 18 ब्लॉक की खुदाई का काम हाथों में ले लिया गया है।

(4) **बिजली घर :**

(i) **पहले चरण की सुरक्षा दीवार (प्रोटेक्शन वाल) का निर्माण**

बिजली घर पहुंचने के लिए छोटे से भाग के अतिरिक्त पहले चरण की सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया था।

(ii) **उप-संरचना (सब-स्ट्रक्चर) का पहला चरण**

I, II और III यूनिटों के लिए नींव की खुदाई का काम पूरा था और सुदृढ़ीकरण के उत्थापन के बाद रैफ्ट कंक्रीट का काम शुरू किया गया।

(5) **हैड रेस सुरंग :**

टेल रेस सुरंग का निर्माण कार्य तीन स्थानों से सम्भाला गया जो इस प्रकार है :

(i) **निकास फाटक से सुरंग की खुदाई :**

निकास फाटक पर खुदाई करने के बाद अगले भाग के लिए मुख्य टेल रेस सुरंग में 90 मी० की लम्बाई तक खुदाई का काम पूरा किया जा चुका था तथा सुरंग को आर.एस. जोइस्ट्स और लपेटन द्वारा सहारा दिया गया।

(ii) **निर्माण शाफ्ट नं० I :**

शाफ्ट नं० I का निर्माण टेल रेस सुरंग के स्प्रिंगिंग स्तर तक पूरा किया जा चुका था और इनलेट सिरे से सुरंग की खुदाई का काम शीघ्र ही शुरू किया जाना था।

(iii) **निर्माण शाफ्ट नं० II:**

टेल रेस सुरंग नं II के एक भाग की लम्बाई के निर्माण के लिए आवश्यक शाफ्ट नं० II की खुदाई का काम भी प्रगति पर था और वर्ष के दौरान लगभग 16 मी० की गहराई तक पूरा किया गया।

(6) ऊपर के कामों के अलावा बैंचों की कटाई और पहाड़ी ढलानों के ट्रीटमेंट का काम भी प्रगति पर था।

(7) **विद्युत कार्य :**

I, II और III यूनिटों के लिए तथा स्विचयार्ड के लिए सामान और औजार हासिल करने का काम प्रगति पर था। लगभग 90 प्रतिशत उपकरण प्राप्त किए जा चुके थे। बिजली घर में मिट्टी चटाई बिछाने का काम चालू था और लगभग 60 प्रतिशत मिट्टी चटाई बिछाई जा चुकी थी। आवश्यक सिविल कार्यों के पूरा हो जाने के बाद अन्य विद्युत कार्य शुरू किए जाएँगे। पावर तन्त्र अध्ययन पूरे किए गए जिसमें दीर्घ अवधि क्षणिक एवं गतिक स्थायित्व अध्ययन दोनों तथा गतिक ओवर वोल्टेज अध्ययन सम्मिलित हैं। 310 के. वी. ए. के 8 नं० डी. जी. सेटों और 875 के. वी. ए. के दो सेटों के अतिरिक्त, 825 के. वी. ए. क्षमता के चार और डी.जी. सैट चैकोस्लोवाकिया से आयात किए गए। ये मशीनें शीघ्र ही परियोजना कार्य में लगाई जाएँगी।

(8) **पूरा करने का कार्यक्रम :**

इस परियोजना को 1986-87 में पूरा करने की योजना है।

4 (घ) **देवीघाट जल-विद्युत परियोजना** (3x4.7 **मेगावाट)**

(1) **मार्च,** 1980 **तक की प्रगति :**

फरवरी, 1980 में त्रिशूली नदी के दाएँ किनारे पर मुख्य कॉम्प्लैक्सों के लिए भूमि सौंपने का काम प्रगतिशील रूप में शुरू हुआ। एप्रोच-सड़कों, आवास-कॉलोनी, स्टोर, वर्कशाप, जल ट्रीटमेंट यंत्र इत्यादि सुविधाओं के निर्माण का 80 प्रतिशत काम इस वर्ष के अन्त तक पूरा किया जा चुका था।

स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, बौर सुराखों की ड्रिलिंग, सभी संरचनाओं के विशेष आरेखन पूरे किए गए।

बिजली घर कॉम्प्लैक्स, हैड रैगुलेटर, कट और कवर नाली और क्रॉस जलनिकासी जैसे मुख्य कामों के ठेके देने के लिए टेंडरों को अन्तिम रूप दिया गया।

(2) **विद्युत कार्य :**

पावर व्यवस्था का निर्माण कार्य पूरा होने की स्थिति में था। 11 के. वी. और एल. टी. लाइनों का उत्थापन कार्य चालू था। 2x450 के. वी. ए. डीजल जेनरेटिंग सैटों का उत्थापन और चालू होने का काम भी पूरा होने वाला था।

3x4.8 मेगावाट जेनरेटिंग यूनिटों, सहायक और फालतू पुरजों की सप्लाई के लिए भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को ठेका दिया गया। एक नम्बर 25/5 टन ई. ओ. टी. क्रेन की सप्लाई का आर्डर दे दिया गया था।

(3) **पूरा करने का कार्यक्रम :**

इस परियोजना को दिसम्बर, 1984 में पूरा करने की योजना है।

5. 1979-80 **के दौरान निगम द्वारा सहन की गई सामान्य बाधाएँ/कठिनाइयां** :

लोकतक परियोजना में सुरंग की खुदाई के काम में भारी वर्षा के कारण बाधा पड़ी। क्षेत्र में व्यापक गड़बड़ी के कारण परियोजना को पी.ओ.एल. की सप्लाई में कठिनाई हुई और इसके फलस्वरूप परियोजना के लिए विद्युत निर्माण की उपलब्धि पर भी प्रभाव पड़ा तथा प्रगति कार्य को धक्का लगा।

सलाल परियोजना पर डीजल की कमी के कारण और बैरा स्यूल परियोजना पर सीमेंट की कमी के कारण असर पड़ा। फिर भी सीमेंट और डीजल तेल की पर्याप्त सप्लाई के लिए हर सम्भव प्रयत्न किए गए जिससे आने वाले वर्ष के कार्य में बाधा न पड़े।

6. **भावी परियोजनाएँ :**

वर्ष के अन्त में कोयेल-कारो और दुल-हस्ती जल-विद्युत परियोजनाएँ आपकी कॉरपोरेशन को मिलने की सम्भावना है।

7. **इन्वेस्टीगेशन्स**

जल परियोजनाओं के अनुसंधान कार्य को अपने हाथ में लेने के लिए एक सशक्त और पूर्ण सुसज्जित एजेंसी की आवश्यकता को महसूस करते हुए भारत सरकार ने सैद्धान्तिक रूप से निश्चय किया है कि इस क्षेत्र में नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की क्षमता को बढ़ाया जाए। विश्व बैंक ने नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन को इस क्षेत्र में सहायता देने का संकेत दिया है और मुझे आशा है कि अब जब हम अगले वर्ष मिलेंगे तो मैं आपको और विवरण देने की स्थिति में होऊँगा।

8. **ट्रांसमिशन निर्माण कार्य :**

(क) विभिन्न ट्रांसमिशन निर्माण लाइनों पर मार्च, 1980 तक हुई प्रगति इस प्रकार थी :—

ट्राँसमिशन कार्यों का विवरण	लक्ष्य पूरा करने की तिथि	31 मार्च, 1980 तक पूरे किए गए कार्य का कुल प्रतिशत
1	2	3
1. **सिक्किम क्षेत्र में ट्राँसमिशन प्रणाली :**		
i) गंगतोक से कालिम्पोंग तक 66 के. वी. डबल सर्किट ट्राँसमिशन लाइन ।	अक्तूबर, 1980	65 प्रतिशत
ii) गंगतोक में 66/11 के. वी. सब स्टेशन (10 एम.वी.ए.)	जून, 1979 (कमीशण्ड)	100 प्रतिशत
iii) मेल्ली में 66/11 के. वी. सब स्टेशन (10 एम.वी.ए.)	अक्तूबर, 1980	60 प्रतिशत
iv) गंगतोक से दिक्चू तक 66 के. वी. सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन ।	दिसम्बर, 1979	100 प्रतिशत
2. देवीघाट जल विद्युत परियोजना के साथ 66 के. वी. ट्रांसमिशन प्रणाली ।	देवीघाट परियोजना के पूरा होने के साथ	अभी शुरू नहीं हुई
3. रामनगर से गंगतोक तक 132 के. वी. सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइनें ।	जून, 1980	95 प्रतिशत
4. लीमातक से जिरीबाम तक 132 के.वी. सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइनें ।	जून, 1981	54 प्रतिशत
5. सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन के लिए 400 के. वी. सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइनें ।	सिंगरौली से ओबरा—फरवरी, 1981, सिंगरौली से कानपुर—जून, 1981	63 प्रतिशत
6. **सलाल जल विद्युत परियोजना के लिए 220 के.वी. लाइनें :**		
i) जम्मू से सरना तक सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन ।	जून, 1981	34 प्रतिशत
ii) सरना से दसूआ तक डबल सर्किट टावरों पर सिंगल सर्किट लाइन ।	जून 1980	81 प्रतिशत
7. चूखा जल-विद्युत परियोजना के साथ 220 के. वी. ट्रांसमिशन कार्य	चूखा जलविद्युत परियोजना के पूरा होने के साथ	पी0 आई0 बी0 के अनुमोदन की प्रतीक्षा

(ख) **नए ट्राँसमिशन कार्य :**

चुखा जल-विद्युत परियोजना (भूटान) के लिए संयुक्त ट्राँसमिशन यूनिटें :

चुखा जल-विद्युत परियोजना के साथ संलग्न 220 के. वी. ट्राँसमिशन प्रणाली (भारत में) के लिए निर्माण और कार्यान्वियन का काम स्वामित्व के आधार पर जनवरी, 1980 को नैशनल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लि० को सौंपा गया। ऊर्जा मंत्रालय ने ट्राँसमिशन लाइनों के सर्वेक्षण और प्राथमिक खोज कार्य के लिए कॉरपोरेशन बजट से 5 लाख रुपए खर्च करने की स्वीकृति दी तथा इसी के अनुरूप आगे टेंडर आमंत्रित करने का काम भी किया गया। सरकार की स्वीकृति पाने के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही थी।

(ग) **कठिनाइयाँ** :

सिक्किम क्षेत्र में ट्राँसमिशन प्रणाली :

1. पश्चिमी बंगाल के अधिकारियों ने मेल्ली से कालिम्पोंग तक 66 के. वी. डबल सर्किट ट्राँसमिशन लाइन के लिए रास्ते का अधिकार तक नहीं दिया था। यह मामला पश्चिमी बंगाल अधिकारियों के साथ उठाया गया। काम दूसरी तरह शुरू किए गए और अगर मेल्ली-कालिम्पोंग विभाग के लिए रास्ते का अधिकार मिल गया तो इस काम के अक्तूबर, 1980 में समाप्त होने की सम्भावना थी।

2. 132 **के.वी. रामनगर गंडक ट्रांसमिशन लाइन :**

रेल वैगन उपलब्ध न होने के कारण लाइन सामग्री की ढुलाई पर बहुत ज्यादा असर पड़ा वरना ढुलाई की इस कठिनाई के अलावा इस लाइन पर प्रगति सामान्यतः संतोषजनक थी। लाइन सामग्री की ढुलाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई। लाइन चालू होने की अवस्था में थी

3. 132 **के. वी. लीमातक-जिरीबाम लाइन :**

अपर्याप्त एप्रोच सड़कें, डीजल की कमी तथा असम में कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण प्रगति कार्य में बाधा पहुंची।

4. **सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र के लिए 400 के. वी. ट्राँसमिशन लाइनें :**

इन लाइनों की प्रगति निर्धारित कार्यक्रम से कुछ पीछे थी। यह कमी मुख्यतया एल्यूमिनियम और डीजल तेल की दुर्लभता के कारण हुई। सिंगरौली परियोजना क्षेत्र में नीवें और टावर उत्थापन की प्रगति में भी देर हुई तथा इसका कारण था परियोजना क्षेत्र से मार्ग-निर्धारण में होने वाली देरी।

बिजली केन्द्र के चालू होने के साथ इन ट्राँसमिशन लाइनों को पूरा करने की पुनर्योजना बनाई गई। डीजल तेल प्राप्त करने के लिए विशेष निर्धारण किया गया है। अन्य कठिनाइयों को भी सुलझाया गया है और इस बात का पूर्वानुमान लगाया गया है कि अब आगे इन ट्राँसमिशन लाइनों के पूरा होने में कोई रुकावट नहीं आएगी।

9. **कार्मिक तथा औद्योगिक सम्बन्ध :**

(1) **कारपोरेशन का स्थाई काडर :**

कॉरपोरेशन की प्रतिनियुक्तिकों (एक्जीक्यूटिव और नॉन-एक्जीक्यूटिव) की भर्ती की नीति को अन्तिम रूप दिया गया और वर्ष के दौरान कॉरपोरेशन काडर में उपयुक्त प्रतिनियुक्तिकों की भर्ती की शुरुआत की गई।

(2) **नियम और नीतियाँ :**

जैसा कि भूतकाल में होता रहा है कॉरपोरेशन ने अपना दर्शन एवं संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से उसी के अनुरूप अपनी नीतियां और नियम बनाने पर जोर दिया। पूर्वगामी वर्षों में पहले से ही तय किए गए नियमों/नीतियों के अतिरिक्त वर्ष के दौरान निम्नलिखित नियमों को अंतिम रूप दिया गया।

(1) छुट्टी के नियम ।

(2) मेडिकल उपस्थिति नियम ।

(3) मकान के निर्माण/खरीदने के लिए अनुदान की स्वीकृति ।

(4) मूल्यनिर्धारण प्रणाली ।

(5) नियमित कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए नीति/नियम ।

ऊपर के नियमों के निर्धारण के साथ, कॉरपोरेशन ने कार्मिक क्षेत्र में अधिकतर नियमों के बनाने का अपना काम पूरा कर लिया है। इन नियमों और नीतियों को दिसम्बर, 1979 में नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की कार्मिक-पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया गया । पब्लिक एंटरप्राइजेज़ ब्यूरो के महानिदेशक ने पुस्तिका की सराहना की है तथा जिन सरकारी क्षेत्रों में इसे भेजा गया उन्होंने भी इसे खूब पसन्द किया ।

(3) हिन्दी का प्रयोग :

राजभाषा नीति को अमल में लाने के लिए हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के सभी प्रयत्न किए गए । हिन्दी में नोट लिखने और ड्राफ्ट बनाने में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए बैरा स्यूल परियोजना के विभिन्न भागों में वर्कशाप आयोजित की गईं । ऑफिस आदेशों, विज्ञापनों, टेंडर नोटिसों आदि को द्विभाषी रूप में जारी किया गया । कॉरपोरेट कार्यालय और परियोजनाओं में "हिन्दी सप्ताह" मनाया गया । कारपोरेट कार्यालय और परियोजनाओं में राजभाषा कार्यान्वियन समिति की कई बैठकें हुई ।

(4) प्रशिक्षण और प्रबंध विकास :

कॉरपोरेशन ने जनवरी, 1980 में एक्जीक्यूटिव और पर्यवेक्षी स्तर के कर्मचारियों के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया । यह कार्यक्रम अखिल भारतीय स्तर वाली एक संस्था की सहायता से चलाया गया लेकिन साथ ही आन्तरिक योग्यता वाली टीम तैयार करने के प्रयास भी किए गए जो कि निकट भविष्य में कॉरपोरेशन की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का ध्यान रख सके ।

मार्च, 1980 के अन्त तक विभिन्न क्षेत्रों में 12 कार्यक्रम किए गए जिसमें भाग लेने वालों की संख्या 240 थी । इसके अतिरिक्त एकजीक्यूटिव प्रशिक्षार्थियों (इंजिनियरिंग) के लिए भी विशेष कार्यक्रम रखे गए ।

अन्य संगठनों द्वारा आयोजित सम्मेलनों/विचार गोष्ठी/संगोष्ठी इत्यादि में भाग लेने के लिए कुछ कर्मचारियों को भेजा गया ।

10. वित्तीय परिणाम :

(1) पूंजी और ऋण :

कॉरपोरेशन की अधिकृत पूंजी और चुकती पूंजी क्रमशः 200 करोड़ रु० और 83·3763 करोड़ रुपये थी । 31-3-1980 की स्थिति के अनुसार कुल शेयर पूंजी पूर्णतः केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिदत्त है । 31-3-1980 की स्थिति के अनुसार ऋण की कुल राशि 83,17,43,600 रु० थी जो पूरी तरह से केन्द्र सरकार से लिया गया था तथा उसी तारीख को ऋण पर उपचित और देय ब्याज 12,56,55,370 रु० था ।

(2) व्यय :

आलोच्य वर्ष के दौरान परियोजनाओं पर हुआ वास्तविक व्यय इस प्रकार था :—

(रुपये लाखों में)

	कार्य	(निर्माण के दौरान ब्याज)	कुल
(i) लोकतक	1103.06	244.34	1347.40
(ii) बैरा स्यूल	1540.40	473.30	2013.70

वर्ष के दौरान कारपोरेशन द्वारा परियोजनाओं/ट्रांसमिशन लाइन कार्यों पर किया गया व्यय इस प्रकार था :—

	(रु० लाखों में)
(क) परियोजनाएं	
सलाल	2511.44
देवीघाट	493.61
(ख) ट्रांसमिशन लाइनें :	
गंगतोक-मेल्ली-कालिम्पोंग	101.89
गंगतोक-दिक्चू	
लीमातक-जिरीबाम	164.65
रामनगर-गंडक	66.03
सिंगरौली-कानपुर	833.55

(3) अतिथि सत्कार :

वर्ष के दौरान अतिथि सत्कार पर कुल 43,607.71 रु० व्यय हुए। व्यय का यूनिटवार व्यौरा नीचे दिया गया है :—

कारपोरेट दफ्तर	रु०	35,930.68
बैरा स्यूल	रु०	3,937.98
लोकतक	रु०	3,739.05

इसके अतिरिक्त सलाल और देवीघाट परियोजनाओं तथा ट्रांसमिशन निर्माण यूनिटों द्वारा अतिथिसत्कार पर निम्नलिखित व्यय किए गए :—

i) सलाल परियोजना	रु०	9,857.68

ii) देवीघाट परियोजना	रु०	12,043.54
iii) ट्राँसमिशन निर्माण यूनिट	रु०	439.94

(4) **विज्ञापन और प्रचार :**

इसके अन्तर्गत कुल व्यय की राशि 4,41,253 रु0 थी जिसमें कि कॉरपोरेट दफ्तर ने 2,09,569 रु0 व्यय किए । इस व्यय का विवरण नीचे दिया गया है :-

(i) प्रचार-प्रसार पर	रु०	13,945.00
(ii) दृश्य तथा श्रव्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से विज्ञापन		...
(iii) अन्य माध्यमों द्वारा विज्ञापन	रु०	4,27,308.00

कॉरपोरेशन ने अभी राजस्व क्रियाएँ शुरू नहीं की हैं अतः विज्ञापन-प्रचार पर होने वाले व्यय तथा आय के बीच अनुपात नहीं निकाला गया है ।

(5) **अतिथि गृह :**

बैरास्यूल और लोकतक परियोजनाओं पर अतिथि-गृह के रखरखाव पर क्रमशः 1,51,689 रु0 तथा 39,699 रु0 व्यय हुए । इसमें फील्ड होस्टलों पर किया गया व्यय भी शामिल है ।

(6) **कॉरपोरेट कार्यालय का रखरखाव तथा अन्य विविध व्यय :**

वर्ष के दौरान कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यालय में फर्निचर और जुड़ी हुई वस्तुओं इत्यादि के रख-रखाव पर हुआ व्यय इस प्रकार है :-

(i) कार्यालय भवन का किराया रु0 11,83,979

(ii) फर्निचर (पूंजी लागत) रु0 3,75,801

(iii) कार्यालय उपस्कर (पूंजी लागत) रु0 8,14,446

iv) संचार उपकरण (पूंजी लागत) रु0 99,418

v) (i) से (iv) तक के रखरखाव पर लागत खर्च रु0 52,470

vi) बिजली और पानी प्रभार रु0 35,985

vii) अन्य व्यय, छपाई और लेखन सामग्री, डाकखर्च, तार, टेलीफोन टेलेक्स तथा अन्य विविध व्यय । रु0 16,93,448

7) **विदेश के दौरे :**

1979-80 के दौरान कॉरपोरेशन के कर्मचारियों द्वारा किए गए विदेशी दौरों का संक्षिप्त विवरण अनुबंध-I में दिया गया है :

8) **सामाजिक बंधा व्यय :**

नगर-क्षेत्र, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर हुआ राजस्व की किस्म का व्यय नीचे लिखे अनुसार है :—

(रु0 लाखों में)

	नगर-क्षेत्र	शिक्षा	स्वास्थ्य सुविधाएँ
बैरा स्यूल	10.15	2.55	3.96
लोकतक	4.92	0.36	0.65
कॉरपरेट कार्यालय	—	—	—

नोट :

परियोजना स्थल पर नगर क्षेत्र में आवासीय इमारतें अधिकतर अस्थाई किस्म की हैं जो परियोजनाओं के निर्माणकाल तक बनी रहेंगी ।

11. **लेखा परीक्षक :**

मैसर्स आर0 के0 खन्ना एण्ड कम्पनी को आपके कॉरपोरेशन के खातों का 1979-80 वर्ष के लिए लेखा परीक्षा के लिए लेखा-परीक्षक नियुक्त किया गया ।

12. **लेखा परीक्षकों की टिप्पणी :**

लेखा-परीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में दिए गए टिप्पणी पर निदेशक की टिप्पणियाँ इस रिपोर्ट के अनुबंध-II में दी गई हैं ।

13. **निदेशक :**

वर्ष के दौरान श्री एस. बी. मजूमदार और श्री के0 एस0 सुब्रह्मणयम क्रमश: 11-9-79 और 7-1-1980 से आपके कॉरपोरेशन के निदेशक नहीं रहे । कॉरपोरेशन के निदेशकों के रूप में उनके द्वारा की गई बहुमूल्य सेवाओं के लिए बोर्ड द्वारा उनकी प्रशंसा की गई। श्री वी0 सुब्रामनियन, श्री डी0 राजागोपाला, श्री एस0 एन0 रॉय, श्री ए0एन0 सिंह और श्री पी0एम0 बेलिअप्पा निदेशकों के रूप में कार्य करते रहे । मेजर जनरल टी0 वी0 जगन्नाथन अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करते रहे ।

14. **कर्मचारियों का विवरण :**

कम्पनी (कर्मचारी विवरण) नियम, 1975 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2ए) के अनुसार सूचना अनुबन्ध III में दी गई है जो इस रिपोर्ट का एक भाग है ।

15. **आभार :**

निदेशक मण्डल भारत सरकार के विभिन्न विभागों, विशेषत: ऊर्जा मंत्रालय, आई0 सी0 एम0 नैपाल, एच0 एम0 जी0, नेपाल, केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को उनके मार्गदर्शन और उनके द्वारा दी गई सहायता के लिए धन्यवाद देता है और आभार व्यक्त करता है । मणिपुर राज्य सरकार, सिक्किम राज्य सरकार, जम्मू व कश्मीर राज्य सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्य बिजली बोर्डों ने अपने-अपने राज्य में हमारे कार्यों में जो सहयोग दिया है उसके लिए भी हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। यदि इन एजेंसियों ने सहायता और सहयोग न दिया होता

तो कॉरपोरेशन ने अब तक जो प्रगति की है वह करना सम्भव नहीं होता।

निदेशक बोर्ड भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों, तथा बैंकरों के बहुमूल्य सहयोग के लिए आभारी हैं।

निदेशक मण्डल कॉरपोरेशन के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए निष्कपट और परिश्रमपूर्ण कार्य के लिए भी आभारी है और उसे इस बारे में तनिक भी सन्देह नही है कि वे आने वाले वर्षों में इस से भी उत्तम ढंग से अपने कर्तव्य को निभाएंगे।

निदेशक मण्डल की ओर से
(पी० एम० बेलिअप्पा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नई दिल्ली
दिनाँक 26-9-1980

नैशनल
हाइड्रोइलैक्ट्रिक
पावर
कारपोरेशन लि०

अनुलग्नक-I

1979-80 के दौरान विदेशी दौरे का विवरण

क्र0 सं0	नाम व पद नाम	उस देश का नाम जहाँ गए	दौरे का प्रयोजन	दौरे की अवधि	कुल खर्च
1.	श्री वी0 सुब्रामनियन निदेशक (वित्त)	साऊदी अरेबिया	कोयल कारो परियोजना हेतु, विकास के लिए साऊदी फंड, सहायता की शर्तों का मोलभाव करने।	29-8-79से6-9-79	रु0 16,648.00
2.	श्री वी0 के0 जोशी वरिष्ठ प्रबंधक	-वही-	-वही-	30-8-79से6-9-79	रु0 11,621.45
					रु0 28,269-45

अनुलग्नक-II

वर्ष 1979-80 के लिए ऑडिटर रिपोर्ट में दी गयी शर्तों पर टिप्पणियाँ

आडिट रिपोर्ट का पैरा नं0	प्रबन्धक वर्ग की टिप्पणी	ऑडिट रिपोर्ट का पैरा नं0	प्रबंधक वर्ग की टिप्पणी
2 (4)- नोट 9 (ख) से सम्बन्धित	परियोजना के निर्माण की अवधि के दौरान प्रयोगाधीन निर्माण संयत्र मशीनरी तथा भवन व सड़कों वाली स्थिर परिसंपत्तियों के अलग-अलग रखने की नीति के परिचालन में, यह पृथक्करण वास्तविक लागत, जहां उपलब्ध थी के आधार पर हुआ और जहाँ लागत आसानी से उपलब्ध न थी अस्थायी आधार पर हुआ और पिछली अवधियों के लिए मूल्य ह्रास व्यवस्था कर दी गई ।		जो कि अब शुरू किया गया है, संकलित वास्तविकों का स्टाक रिकार्ड बैलेंस से समाधान किया जाएगा ।
		2(4)-नोट 16 से सम्बन्धित	समंजन चालू वर्ष के दौरान किया जाएगा ।
		,, नोट 17	बैरा स्यूल परियोजना में भारी वर्षा तथा हिमपात से हुई विचाराधीन भारी क्षतियों की अभी भी जांच चल रही है इसलिए क्षतियों का वास्तविक मूल्य मालूम हो जाने पर व्यवस्था की जायेगी ।
,, नोट 13	लोकतक में हस्तान्तरण पूर्व अवधि से सम्बद्ध विविध उपस्कर की लागत आदि के ब्यौरों का संकलन शुरू किया गया है अपेक्षित समंजन इसके बाद के लेखों में किया जायगा ।	,, नोट 19	ब्यौरे मालूम करने के बाद अंतिम समंजन किया जायगा ।
		2(4)-नोट 20 (क) (ख) से संबंधित	आँकड़ों के समाधान के लिए कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी है और अपेक्षित समंजन कर लिया जाएगा ।
,, नोट 15 (क)	प्रशासनिक समस्याएँ काबू में हो जाने पर, बैरा स्यूल में स्टाक का सत्यापन किया जायगा ।	,, नोट 20(ग)	नेपाल का प्रश्नाधीन बैंक हमें केवल बैंक स्क्रोल देता है और बैलेन्स की पुष्टि नही करता है । फिर भी लिखित पुष्टि प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है ।
,, नोट 15 (ख)	हस्तान्तरण पूर्व स्टाक उचित शीर्षों के समाधान के बाद		

2(4)-नोट 24 से सम्बन्धित	बड़ी-बड़ी पार्टियों को बैलेंस की पुष्टि करने के लिए कहा जायगा।		भविष्य में व्यवस्था कर दी जाएगी।
,, नोट 26	कट आफ तिथि के बाद भी बताई गई सामग्री प्रकार की जानी गई देयताओं की	2(4)-नोट 27 से सम्बन्धित	पर्यवेक्षण प्रभारों के बारे में लेखा विवेचन बना कर कार्यान्वित कर दिया जायग।

आडिट रिपोर्ट के पैरा-1 में संदर्भित आडिट रिपोर्ट का अनुलग्नक

1. नामावली तथा परिस्थितिगत ब्योरे समुचित रूप से रिकार्ड किए जाएंगे।

3. जैसा कि लेखों पर टिप्पणियों के पैरा 15 (क) और (ख) में बताया गया है, बैरा स्यूल परियोजना में स्टाक सत्यापन शुरू किया गया है और समुचित प्रलेखन किया जाएगा।

8. बैरा स्यूल परियोजना में, जांच होने तक बेकार तथा क्षतिग्रस्त भण्डारों का समंजन लेखा बहियों में नहीं किया गया है। जांच पूरी हो जाने के बाद समुचित व्यवस्था की जाएगी।

कम्पनी (कर्मचारियों के ब्यौरे) नियमावली, 1975 के साथ पठित धारा 217 (2ए) के तहत अपेक्षित सूचना

नाम व पदनाम	पारिश्रमिक	रोज़गार का रूप (अनुबंधित या अन्य)
1	2	3
(क) (उन कर्मचारियों का ब्यौरा जिन्होंने पूरा वित्तीय वर्ष कार्य किया और जिनका पारिश्रमिक पूरे वर्ष में 36,000/-रु० से कम नहीं था।)		
कारपोरेट मुख्यालय		
1. श्री वी. सुब्रामनियन, निदेशक (वित्त)	रु० 69,036·14	25.01.80 तक भारत के सी.ए.जी. के दफ्तर से प्रतिनियुक्ति पर। 26·1·80 से एब्सार्ब हो गए।
2. श्री आर.सी. गुप्ता, महा प्रबंधक (का. व प्र.)	,, 54,558·40	नियमित
3. श्री आर. राजागोपालन महा प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	,, 50,724·30	भारत सरकार के सी.ए.जी. के दफ्तर से प्रतिनियुक्त पर।
4. श्री ए.वी. मोटवानी, वरिष्ठ प्रबंधक	,, 36,624·45	केन्द्रीय जल आयोग से प्रतिनियुक्ति पर और 9-02-80 से एब्सार्ब हो गए।
5. श्री के. सुब्रामनियम, प्रबंधक (लेखा)	,, 42,404·55	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्रतिनियुक्ति पर।
6. मेजर एस. वर्मा उप प्रबन्धक	,, 43,577·20	सेना से प्रतिनियुक्ति पर।
लोकतक जल विद्युत परियोजना		
7. श्री के. माधवन, महा प्रबंधक	,, 38,283·00	केन्द्रीय जल आयोग के कार्यालय से प्रतिनियुक्ति पर।
बैरा स्यूल जल-विद्युत परियोजना		
8. श्री ए.एस. चतरथ महा प्रबंधक	,, 39,226·00	पंजाब लोक निर्माण विभाग, सिंचाई शाखा से प्रतिनियुक्ति पर।
सलाल जल-विद्युत परियोजना		
9. श्री बी.पी. मित्तल, महा प्रबंधक	,, 39,449.00	हरियाणा लोक निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्ति पर।
देवीघाट जल-विद्युत परियोजना		
10. श्री आर. रामास्वामी, महा प्रबंधक	,, 59,025·25	केन्द्रीय जल आयोग से प्रतिनियुक्ति पर।

अनुलग्नक—III

योग्यता (अनुभव)	नै.हा.पा.का. में सेवारम्भ की तिथि	आयु (वर्ष)	पूर्व पद जिस पर कार्य किया
4	5	6	7
बी.एस.सी. (आनर्स) एल.एल.बी. (27 वर्ष)	27-01-1978	51	लेखा सदस्य, केरल राज्य विद्युत बोर्ड
व्यवसायिक प्रबंधक (36 वर्ष)	04-04-1977	55	उप महा प्रबंधक (कार्मिक), बी.एच.ई.एल.
बी.एस.सी. बी.एल. (25 वर्ष)	19-11-1978	51	महालेखाकार, जम्मू तथा काश्मीर
बी.ई. (सिविल) (31 वर्ष)	16-07-1978	55	सचिव, केन्द्रीय जल-विद्युत परियोजना नियंत्रण बोर्ड
बी.ए., बी.एल, आई.सी.डब्ल्यू.ए. (27 वर्ष)	01-03-1978	54	सहायक मुख्य लेखा अधिकारी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि.
बी.ई. (सिविल) (16वर्ष)	06-03-1979	38	फील्ड कम्पनी कमांडेंट, 235 इंजिनियर रेजिमेंट
बी.ई. (सिविल) (28 वर्ष)	22-09-1978	50	निदेशक (एस.जी.) केन्द्रीय जल आयोग
बी.एस.सी. (इंजीनियरिंग) (सिविल) (29 वर्ष)	17-02-1978	51	अधीक्षण अभियन्ता ब्यास सतलुज लिंक परियोजना
बी.ई. (सिविल) (29 वर्ष)	15-05-1978	51	अतिरिक्त मुख्य अभियंता, ऊर्जा मंत्रालय
बी.ई. (सिविल) (31 वर्ष)	19-12-1978	54	अधीक्षण अभियंता/निदेशक (एस.जी.) केन्द्रीय जल आयोग

1	2	3
11. श्री पी.एल. पोपली प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	रु0 52,289.50	रेल मंत्रालय से प्रतिनियुक्ति पर और 28-09-1979 से एब्सार्ब हो गए।
12. श्री डी.एन. भण्डारी, लेखा अधिकारी	,, 36,271.65	रेल मंत्रालय से प्रतिनियुक्ति पर।
13. श्री एम.के. राजगोपाल इंजीनियर (सी)	,, 36,219.45	केन्द्रीय जल आयोग से प्रतिनियुक्ति पर।
14. श्री आर.वी. गोडबोले सहायक प्रबंधक (सी)	,, 38,349.75	केन्द्रीय जल आयोग से प्रतिनियुक्ति पर।

(ख) (उन कर्मचारियों के ब्यौरे जिन्होंने आंशिक वित्तीय वर्ष के लिए काम किया और जिनका पारिश्रमिक 3000/-रुपये प्रतिमास से कम नहीं था।)

कारपोरेट मुख्यालय		
1. श्री आई.सी. गुप्ता महा प्रबंधक (सिविल)	रु0 42,042.85	हरियाणा सिंचाई व विद्युत विभाग से प्रतिनियुक्ति पर।
2. श्री के.बी. माथुर महा प्रबंधक (पारेषण)	,, 29,372.88	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर।
3. श्री एम.पी. त्यागी महा प्रबंधक (सिविल)	,, 17,406.30	उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से प्रतिनियुक्ति पर।
4. श्री ओ.पी. मेहता महा प्रबंधक (एम.एण्ड.सी.)	,, 13,208.45	पंजाब सिंचाई कार्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर।
5. श्री वी.के. शर्मा महा प्रबंधक (विद्युत)	,, 16,831.77	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर।
6. श्री एम.एल. स्वामी महा प्रबंधक (सी)	,, 39,491.60	आंध्र प्रदेश सरकार से प्रतिनियुक्ति पर।
7. श्री वी.एम. बजाज वरिष्ठ प्रबंधक	,, 42,241.65	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर।
देवीघाट जल-विद्युत परियोजना		
8. श्री एम.पी. परसुरामन प्रबंधक (सिविल)	,, 4,049.35	केन्द्रीय जल आयोग से प्रतिनियुक्ति पर।
9. श्री बी.के. चावला, सहायक प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	,, 3,276.55	नियमित (महालेखाकार हिमाचल प्रदेश तथा चण्डीगढ़ से लियन धारक)।
10. श्री जी.के. फरलिया सहायक प्रबंधक (विद्युत)	,, 3,289.80	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्रतिनियुक्ति पर।

अनुलग्नक—III (क्रमशः)

4	5	6	7
बी.ए., ए.आई.सी.डब्ल्यू.ए. (22 वर्ष)	28-09-1976	49	अनुभाग अधिकारी रेल मंत्रालय ।
एस.ए.एस. (36 वर्ष)	20-06-1977	54	अनुभाग अधिकारी उत्तर रेलवे ।
एल.सी.ई. (25 वर्ष)	04-02-1979	46	सहायक निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग ।
बी.ई. (सिविल(एम. टेक. (20 वर्ष)	05-01-1979	42	उप निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग ।
बी.एस.सी. (इंजी.) (28 वर्ष)	15-06-1979	58	मुख्य अभियंता, ब्यास निर्माण बोर्ड ।
बी.एस.सी. (इंजीनियरिंग) (28 वर्ष)	01-11-1976	48	संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, लखनऊ ।
बी.ई. (आनर्स) (30 वर्ष)	17-05-1977	53	निदेशक, केन्द्रीय डिज़ाइन निदेशालय, उत्तर प्रदेश राज्य सिंचाई विभाग ।
बी.एस.सी. (इंजीनियरिंग) (सिविल) (30 वर्ष)	01-01-1980	52	मुख्य अभियंता, चुखा परियोजना प्राधिकरण, भूटान ।
बी.एस.सी. (इंजीनियरिंग) (विद्युत) (31 वर्ष)	06-12-1979	51	महा प्रबंधक व मुख्य अभियंता, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ।
बी.ई. (सिविल) सी.ई. (33 वर्ष)	26-06-1979	55	मुख्य अभियंता, आंध्र प्रदेश सरकार ।
बी.ई. (सिविल) (24 वर्ष)	10-05-1979	47	निदेशक (यू.टी.), केन्द्रीय जल आयोग ।
बी.ई. (सिविल) (30 वर्ष)	03-09-1979	51	उप निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग ।
बी.ए. (आनर्स) (27 वर्ष)	01-12-1979	54	लेखा अधिकारी, कार्यालय महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश ।
बी.ई. (विद्युत) एम.ई. (कंट्रोल और मेजरमेंट) (11 वर्ष)	18-04-1979	36	अधिशासी अभियंता, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ।

नोट : 1. उपरोक्त कर्मचारी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अर्थों की दृष्टि से निगम के किसी निदेशक के संबंधी नहीं हैं ।

2. नौकरी की शर्तें वहीं है जो समय-समय पर यथा स्थिति, कम्पनी पर लागू सरकारी नियम एवं उपनियमों द्वारा निर्धारित होती हैं।

3. उपरोक्त सूची में निर्दिष्ट पदनाम कर्मचारियों द्वारा अदा की गई ड्यूटियों के प्रकार को दर्शाते हैं।

4. पारिश्रमिक में ये बाते शामिल हैं, निगम द्वारा लीज़ की गई किराये के आवास की लागत, जहां कहीं लागू हो पी.एफ. में नियोक्ता का अंशदान, ग्रेच्युटी आदि।

5. ग्रेच्युटी की राशि को नहीं गिना गया है क्योंकि उसकी व्यवस्था बीमांककीय आधार पर दी गई है।

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०

31-3-1980 का तुलन पत्र

	अनुसूची सं.	
निधियों के स्रोत		
1. हिस्सेदारों की निधि		
क) पूंजी	'क'	83,37,63
ख) आरक्षित तथा अधिशेष	'ख'	2,38,52
2. ऋण निधियाँ		
आरक्षित ऋण	'ग'	
जोड़		
निधियों का उपयोग		
1. स्थिर परिसंपत्तियाँ	'घ'	
क) कुल ब्लॉक		19,46,87
ख) घटाएँ मूल्य-ह्रास		4,12,92
ग) शुद्ध ब्लॉक		
2. चल रहे पूंजी कार्य	'ङ'	
3. चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण तथा पेशगियाँ	'च'	
क) सम्पत्ति सूचियाँ		5,33,98
ख) नकद व बैंक शेष		6,37,74
ग) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ		11,93
घ) ऋण तथा पेशगियाँ		9,92,32
		21,75,97

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०

(रु० हजारों में)

31-3-1980 को स्थिति		31-3-1979 को स्थिति
	83,37,63	
85,76,15	2,01,28	85,38,91
95,73,99		66,87,61
1,81,50,14		1,52,26,52
	8,84,70	
	1,04,62	
15,33,95		7,80,08
1,56,64,20		1,33,32,07
	4,65,40	
	4,50,58	
	41,48	
	7,37,44	
	16,94,90	

(क्रमशः)

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०

31-3-1980 का तुलन पत्र

	अनुसूची सं.	
4, **घटाएँ :** चालू देयताएँ व व्यवस्थाएँ	'छ'	
क) देयताएँ		12,51,39
ख) व्यवस्थाएँ		4,73
		12,56,12
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ		
5. बट्टे खाते न डाला गया या समंजित न हुआ की सीमा तक विविध खर्च	'ज'	
जोड़		
लेखों तथा आकस्मिक देयताओं की टिप्पणी	'झ'	

अनुसूची 'क' से 'ट' तक तथा लेखा नीतियाँ, लेखों का अभिन्न अंग हैं।

एन० वी० रामन
सचिव

नई दिल्ली,
20 सितम्बर, 1980

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०

(रु० हजारों में)

31-3-1980 को स्थिति		31-3-1979 को स्थिति
	5,94,64	
	15,93	
	6,10,57	
9,19,85		10,84,33
32,14		30,04
1,81,50,14		1,52,26,52

वी० सुब्रामनियन
निदेशक (वित्त)

पी० एम० बेलिअप्पा
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

हमारी अलग रिपोर्ट संलग्न के अनुसार
कृते आर० के० खन्ना एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाऊंटैंट्स

अनिल के0 खन्ना

भागीदार

31-3-1980 की समाप्ति पर निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्चों का विवरण

(रुपये हजारों में)

		31-3-1980 को स्थिति		31-3-79 को स्थिति
कर्मचारियों का पारिश्रमिक तथा लाभ :				
वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	1,54,13		1,12,71	
विदेश सेवा अंशदान	4,01		3,69	
भविष्य निधि अंशदान	3,46		9,36	
उपदान निधि अंशदान	73		4,00	
स्टाफ कल्याण व्यय	12,13	1,74,46	6,56	1,36,32
मरम्मत व रख-रखाव :				
भवन	15,65		11,28	
मशीनरी व निर्माण उपस्कर	91,65		15,32	
अन्य	46,51	1,53,81	27,18	53,78
यात्रा व वाहन खर्चे (विदेश यात्रा के लिए रु० 28,260/- सहित)		17,88		13,93
स्टाफ कार पर व्यय		6,22		8,49
डीजल पावर हाऊस व्यय		20,04		5,62
ट्रांसपोर्ट खर्चे		44,74		37,62
निदेशकों की फीस व बैठक व्यय		11		4
किराया		11,84		8,63
निवास के लिए किराया		2,56		2,33
दरें व कर		1,39		6
बीमा		1,14		2,01
बिजली व जल प्रभार		2,49		3,46
टेलीफोन, टेलेक्स, डाक तथा तार व्यय		8,41		10,17
विज्ञापन		4,41		2,88
डिजाइन व परामर्श		90		3,25
मनोरंजन खर्चे		44		23
छपाई व लेखन सामग्री		8,66		3,50
प्रशिक्षण खर्चे		1,27		19

	31-3-80 को स्थिति	31-3-79 को स्थिति
लेखा परीक्षकों को अदायगी		
लेखा परीक्षा फीस के रूप में		
(1978-79 के लिए रु० 10,000/-समेत)	30	15
लेखा परीक्षकों के खर्चे के रूप में	16	9
सरकारी ऋणों पर ब्याज	7,16,84	5,03,44
बैंक प्रभार व ब्याज	51	1,13
मूल्य ह्रास	3,09,14	1,03,61
अन्य खर्चे	20,40	20,76
	15,08,12	9,21,60
घटायें : प्राप्तियां व वसूलियाँ :		
बिजली प्रभार	3,46	6,41
टेंडर फार्मों का मूल्य	68	58
यंत्र एवं मशीनरी का किराया व्यय	4,87	1,89
जल प्रभार	10	16
किराया	1,01	62
ब्याज : अवधि जमा व बचत खाता पर	18,75	8,55
ऋणों व पेशगियों पर	15	2,43
विविध प्राप्तियां व वसूलियां	11,81	13,34
आस्थगित राजस्व खर्चे में हस्तान्तरित कोयल कारो परियोजना के लिए डिजाइन प्रभार	2,10	—
	42,93	33,98
सुद्ध खर्चे	14,65,19	8,87,62
घटायें : चल रहे पूंजी कार्यों पर आबंटित मरम्मत व रख-रखाव व्यय	1,46,77	—
	13,18,42	8,87,62

टिप्पणी : 1. मनोरंजन तथा विदेश यात्रा पर खर्च प्रबंध द्वारा प्रमाणित है।

2. उपरोक्त खर्च में निदेशकों को अदा की गई निम्न राशियां शामिल हैं :—

i) वेतन व भत्ते=36,450/- रुपये

ii) विदेश सेवा अंशदान=5,187/- रुपये

iii) निवास के लिए किराया=9,285/- रुपये

iv) चिकित्सा प्रतिपूर्ति=17,412/- रुपये

v) छुट्टी यात्रा रियायत=702/- रुपये

vi) निदेशकों व अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक के यात्रा व्यय=55,775/- रुपये (विदेशी मुद्रा में 8,145 रुपये समेत)

3. उपरोक्त के अलावा पूर्णकालिक निदेशक को रु० 100/- प्रतिमास की अदायगी पर 500 किलोमीटर तक की पदीय यात्राएं तथा निजी यात्राएं करने की भी अनुमति दी गई।

एन०वी० रामन सचिव	वी० सुब्रामनियन निदेशक (वित्त)	पी०एम० बेलिअप्पा अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

नई दिल्ली
20 सितम्बर, 1980

हमारी अलग रिपोर्ट संलग्न के अनुसार
कृते आर०के० खन्ना एण्ड कम्पनी,
चार्टर्ड एकाऊन्टेंट्स,

अनिल के० खन्ना
भागीदार

निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय के आबन्टन का विवरण

(रु० हजारों में)

ब्यौरे		31-3-80 की समाप्ति पर		31-3-79 की समाप्ति पर
वर्ष के दौरान प्रासंगिक व्यय के विवरण अनुसार शुद्ध खर्च		13,18,42		8,87,62
निम्न को आबंटित				
क. ट्रांसमिशन कन्सट्रक्शन यूनिट (डिपाजिट कार्य)				
1. गंगतोक - मेल्ली - कालिम्पोंग	1,09		2,44	
2. गंगतोक - दिक्चू	91			
3. लीमातक - जिरीबाम	3,23		69	
4. रामनगर - गंडक	1,29		1,35	
5. सिंगरौली - कानपुर	16,34	22,86	12,72	17,20
ख. एजेंसी आधार पर परियोजनाएं				
1. सलाल परियोजना	21,26		15,81	
2. देवीघाट परियोजना	9,12	30,38	72	16,53
ग. अपनी परियोजनाएं				
1. बैरा स्यूल परियोजना				
क) सीधा खर्च	8,26,13		4,73,75	
ख) कारपोरेट कार्यालय का हिस्सा	10,35		11,55	
	8,36,48		4,85,30	
ग) डिजाइन प्रभार	1,32	8,37,80	—	4,85,30
2. लोकतक परियोजना				
क) सीधा खर्च	4,18,78		3,58,93	
ख) कारपोरेट कार्यालय का हिस्सा	8,60	4,27,38	9,66	3,68,59
		13,18,42		8,87,62

अनुसूची 'क'

शेयर पूँजी

	31-3-1980 को स्थिति	31-3-79 को स्थित
प्राधिकृत पूंजी		
20,00,000 इक्विटी शेयर-1000 रु० प्रति शेयर	200,00,00	200,00,00
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त पूंजी		
1000 रु० प्रति शेयर की दर से पूर्ण रुपेण नकद प्रदत्त 8,33,762 इक्विटी शेयर (इसमें से 6,29,529 शेयर नियत कर दिए परन्तु उनके बदले में कोई राशि नकद प्राप्त नहीं हुई।	83,37,62	83,37,62
शेयर पूंजी डिपोजिट		
भारत सरकार से नकद प्राप्त राशि लोकतक परि-योजना के लिए 400/- रु० व 600 रु० मूल्य के जिनकी खरीद के बदले में कोई आंशिक राशि प्राप्त नहीं हुई शेयर का नियतन प्रतीक्षित।	1	1
	83,37,63	83,37,63

अनुसूची 'ख'

आरक्षित तथा अधिशेष

(रु० हजारों में)

	31-3-1980 को स्थिति	31-3-1979 की स्थिति
पूंजी आरक्षित		
1. मणिपुर सरकार से लिफ्ट सिंचाई घटक के लिए अंशदान	2,38,52	2,01,28

अनुसूची 'ग'

अनुरक्षित ऋण

(रु० हजारों में)

	31-3-1980 को स्थिति	31-3-1980 को स्थिति
1. भारत सरकार से ऋण	83,17,44	60,67,43
2. भारत सरकार के ऋणों पर उपचित व देय ब्याज	12,56,55	6,20,18
	95,73,99	66,87,61

आवधिक परिसम्पत्तियाँ

विवरण	कुल ब्लाक 1-4-79 को	बढ़ोत्तरी/समंजन	कटोतियाँ बिक्री/ हस्तान्तरण
1	2	3	4
भूमि	15,84	33,64	—
आवासीय भवन	68,17	4,10,34	3,38
गैर-आवासीय भवन	21,48	1,50,63	48
सड़कें तथा पुल	—	3,53	—
संयंत्र तथा मशीनरी	7,20,73	2,30,91	82
गाड़ियाँ व अन्य परिवहन	37,87	77,37	—
कार्यालय फर्नीचर व फिक्सचर	8,79	8,53	—
कार्यालय उपस्कर व अन्य उपकरण	6,69	10,83	—
ट्रांसमिशन लाइनें	—	91,60	—
गली बत्ती फिटिंग	—	3,53	—
संचार उपस्कर	2,00	8,95	—
विविध उपस्कर	—	56,13	—
अन्य परिसंपत्तियाँ	3,13	86	—
	8,84,70	10,66,85	4,68

अनुसूची 'घ'

(रु० हजारों में)

निबल ब्लॉक 31-3-80 को	कुल मूल्य ह्रास 31-3-80 को	शुद्ध ब्लॉक 31-3-80 को	31-3-1979 को स्थिति
5	6	7	8
29,48	—	29,48	15,84
4,75,13	51,20	4,23,93	} 81,80
1,71,63	18,09	1,53,54	
3,53	3	3,50	—
9,50,82	2,81,14	6,69,68	6,35,62
1,15,24	20,64	94,60	29,00
17,32	1,42	15,90	17,82
17,52	1,80	15,72	—
91,60	13,20	78,40	—
3,53	21	3,32	—
10,95	18	10,77	—
56,13	24,69	31,44	—
3,99	32	3,67	—
19,46,87	4,12,92	15,33,95	7,80,08

चालू पूंजी कार्य

विवरण
सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श तथा अन्य प्रारम्भिक व्यय
भवन व सिविल इंजीनियरी कार्य
संचार
हाइड्रॉलिक कार्य - डेम, बैराज, सुरंग व पावर चैनल सहित
पेनस्टाक
जेनरेटिंग स्टेशन में संयंत्र व मशीनरी
विद्युत प्रतिष्ठान
सहायक कार्य
ट्रंक ट्रांसमिशन लाइनें
निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्चे : पिछले वर्ष का पिछला शेष
जोड़ें : इस वर्ष के लिए हस्तान्तरित राशि

अनुसूची 'ङ'

(रु० हजारों में)

		31-3-1980 को स्थिति	31-3-1979 को स्थिति
		34,60	25,55
		8,33,69	12,19,25
		87,07	70,13
		85,35,04	71,11,99
		1,38,74	84,97
		25,68,46	26,24,25
		23,86	17,94
		5,61,72	5,39,07
		3,66,97	3,88,73
	12,50,19		
	12,63,86	25,14,05	12,50,19
		156,64,20	133,32,07

चालू परिसम्पत्तियां, ऋण व पेशगियां

1. **सूचियाँ (प्रबन्धकगण द्वारा मूल्यित व प्रमाणित)**

स्टोर व फालतू पुर्जे (मूल्य पर)

2. **नकदी व बैंक में शेष**

i) नकदी, अग्रदाय, पोस्टल आर्डर व डाक टिकटें

ii) नकद मार्गस्थ

iii) **अनुसूचित बैंकों में शेष**
बचत बैंक खाते
आवधि खाता (अल्प अवधि खाता)

iv) गैर अनुसूचित बैंकों में चालू लेखों में शेष

नेपाल राष्ट्र बैंक, काठमांडू
नेपाल बैंक लि०, त्रिशूली

3. **अन्य चालू परिसंपत्तियां** :

i) जमा राशियों पर उपचित ब्याज

ii) वर्कशाप व सामान्य सस्पैन्स

4. **ऋण व पेशगियां** :

नकद या माल या प्राप्त होने वाले मूल्य में वसूली योग्य पेशगियां
—सुरक्षित

—असुरक्षित (कन्सीडर्ड गुड)

ऋण :

—कर्मचारियों को (सुरक्षित)

टिप्पणी : 628.31 लाख रु० मूल्य की पेशगियां पूंजी कार्यों के लिए हैं।

अनुसूची 'च'
(रु० हजारों में)

			31-3-80 को स्थिति	31-3-1979 को स्थिति
			5,33,98	4,65,40
			1,19	5,06
			—	5,00
			2,08,16	4,39,21
			4,00,00	—
	वर्ष के दौरान अधिकतम			
	1979-80	1978-79		
	65,09	29,26	16,30	1,08
	14,67	3,52	12,09	23
			6,60	3,99
			5,33	37,49
			24	—
			9,91,27	7,37,34
			81	10
			21,75,97	16,94,90

अनुसूची 'छ'

चालू देयताएं व व्यवस्था

(रु० हजारों में)

विवरण	31-3-1980 को स्थिति	31-3-1979 को स्थिति
देयताएं		
1. फुटकर लेनदार	3,35,89	66,53
2. डिपाजिट कार्यों की न खर्ची हुई राशि		
i) गंगतोक ट्रां.क. यूनिट	1,05,63	35,71
ii) लीमातक-जिरीबाम ट्रां.कं. यूनिट	30,50	89,79
iii) गंगतोक-रामनगर ट्रां.कं. यूनिट	26,63	30,85
iv) सिंगरौली-कानपुर ट्रां.कं. यूनिट	33,63	42,96
3. एजेन्सी आधार पर परियोजना निष्पादन के लिए भारत सरकार से प्राप्त डिपाजिटों का न खर्चा शेष		
i) सलाल हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना	85,14	95,68
ii) देवीघाट हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना	2,21,60	75,11
4. ठेकेदारों व अन्यों से डिपाजिट्स, धारण धन	52,06	10,04
5. अन्य देयताएं	1,36,81	5,73
6. भारत सरकार से ऋणों पर उपचित ब्याज परन्तु देय नहीं	2,23,50	1,42,24
	12,51,39	5,94,64
व्यवस्थाएं		
1. उत्पादन के लिए व्यवस्था	4,73	4.00
2. सी पी एफ/ई पी एफ के लिए व्यवस्था	—	11,93
	12,56,12	6,10,57

अनुसूची 'छ' का अनुबन्ध–डिपाजिट कार्यों तथा एजेंसी आधार पर परियोजनाओं के ब्यौरे

(रु० हजारों में)

क्रम सं०	विवरण	राशि डिपाजिट	31-3-79 तक खर्च	वर्ष के दौरान खर्च	वर्ष के दौरान खर्च में कारपोरेट कार्यालय का हिस्सा	31-3-80 तक कुल खर्च	खर्च न हुई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
	क डिपाजिट कार्य						
	ट्रांसमिशन कन्स्ट्रक्शन यूनिटें						
1.	गंगोतक से मेल्लो-कालिम्पोंग	3,16,62	1,66,78	54,56	1,09	2,22,43	94,19
2.	गंगतोक से दिक्चू	57,68	—	45,34	90	46,24	11,44
3.	लीमातक-जिरीबाम	2,50,30	55,15	1,61,42	3,23	2,19,80	30,50
4.	रामनगर-गंडक	1,66,99	74,33	64,74	1,29	1,40,36	26,63
5.	सिंगरौली-कानपुर	16,35,74	7,68,56	8,17,21	16,34	16,02,11	33,63
		24,27,33	10,64,82	11,43,27	22,85	22,30,94	1,96,39
	ख. एजेन्सी आधार पर परियोजनायें :						
1.	सलाल परियोजना (ट्रां. कं. यूनिट जम्मू सहित)	47,34,78	21,38,20	24,90,68	20,76	46,49,64	85,14
2.	देवीघाट परियोजना	8,15,10	99,89	4,89,32	4,29	5,93,50	2,21,60
		55,49,88	22,38,09	29,80,00	52,05	52,43,14	3,06,74

टिप्पणी : ट्रांसमिशन कन्स्ट्रक्शन यूनिटों तथा एजेन्सी आधार पर परियोजनाओं पर खर्च केवल नकद खर्च दर्शाता और है इसमें उपचित खर्च शामिल नहीं है । फिर भी खर्च में ये शामिल हैं : स्टाफ को पेशगियां, सप्लाई कर्त्ताओं/ठेकेदारों को पेशगियां, डिपाजिट तथा इस्तेमाल न हुए स्टाक आदि ।

अनुसूची 'ज'

विविध व्यय

(रु० हजारों में)

	31-3-1980 को स्थिति	31-3-1979 को स्थिति
बट्टे खाते का समंजन न किए गए की सीमा विविध खर्च		
1. आरम्भिक खर्चे	30,04	30,04
2. आस्थगित राजस्व व्यय	2,10	—
	32,14	30,04

अनुसूची 'झ'

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ :

1. कोई लाभ व हानि लेखा तैयार नहीं किया गया है क्योंकि निगम की अपनी परियोजनाएं निर्माण की अवस्था में हैं और अन्य हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजनाओं तथा ट्रांसमिशन कन्स्ट्रक्शन यूनिटों के संबन्ध में यह केवल ऊपरी खर्च वसूल कर रही है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग-II के अन्तर्गत अपेक्षित सूचना निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च विवरण में दे दी गई है।

2. भूमि की कीमत में क्षतिपूर्ति और अन्य खर्चों के तौर पर की गई अनन्तिम/अन्तिम अदायगी आती है जिनके अंतिम लेखे संबंधित प्राधिकारियों से अभी आने हैं। भूमि का टाइटल अभी निगम को प्राप्त नहीं हुआ है क्यों कि अभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होनी हैं।

3. 1,46.89 लाख रु० तक की प्रासंगिक देयताएं (पिछले वर्ष 20.42 लाख रु०) कम्पनी के जिम्मे उन दावों के बारे में विद्यमान है जिन्हें अभी तक ऋण नहीं मान लिया गया है।

4. ऐसे पूंजी लेखों पर निष्पादित होने वाले उन ठेकों जिनकी राशि की व्यवस्था नहीं की गई है, की अनुमानित राशि 2,32.05 लाख रु० है (पिछले वर्ष पता नहीं लगा)

5. क) ट्रांसमिशन कन्स्ट्रक्शन लाइनों के निर्माण कार्य, राज्य सरकारों, राज्य बिजली बोर्डों और सरकारी उद्यमों की ओर से डिपाजिट कार्यों के तौर पर लिए हुए हैं। अभी पूरे होने वाले कार्यों का अनुमानित मूल्य 11,99.42 लाख रु० है (पिछले वर्ष 23,70.18 लाख रु०)

ख) सलाल और देवीघाट पर जलविद्युत परियोजना निर्माण कार्य भारत सरकार की ओर से भी लिया हुआ है। अभी पूरे होने-वाले कार्य का अनुमानित मूल्य 124,26.41 लाख रु० है (पिछले वर्ष 153,50.00 लाख रुपये)

6. क) वर्ष के दौरान कारपोरेट कार्यालय का खर्च विनियोजन ट्रांसमिशन कन्स्ट्रक्शन यूनिटों में प्रत्येक यूनिट पर हुए सीधे खर्च का 2% की दी हुई दर पर किया गया है तथा शेष राशि अनुपातिक रूप से निगम की अपनी परियोजनाओं तथा डिपाजिट कार्यों के तौर पर निष्पादित की जा रही अन्य जलविद्युत परियोजना में।

ख) कारपोरेट कार्यालय के खर्चे को निगम की अपनी परियोजनाओं तथा अन्य जलविद्युत परियोजनाओं में विनियोजन दर फलाने के प्रयोजन से, भारत सरकार को देय ऋण पर ब्याज पिछले वर्ष तक निबल खर्च में शामिल कर लिया गया था। फिर भी, इस वर्ष विनियोजन की दर की गणना के लिए ब्याज को निबल खर्च से निकाल दिया गया है।

7. भारत सरकार से ली गयी परियोजनाओं के बारे में परिसम्पत्तियों और देयताओं का हस्तान्तरण मूल्य जैसा कि भारत सरकार ने निर्धारित किया निगम की बहियों में ले लिया गया था। बैरा स्यूल और लोकतक दोनों परियोजनाओं के बारे में हस्तान्तरण तिथि को जो-जो परिसंपत्तियाँ थीं उनके विभिन्न अवयवों की कीमत का विस्तृत सत्यापन कार्य शुरू किया गया था। जब समीक्षा पूर्ण हो जायेगी परिसंपत्तियों के हस्तान्तरण मूल्य में परिवर्तन, यदि कोई हुआ, तो भारत सरकार से बात उठाई जाएगी।

8. निगम को परियोजनाएँ हस्तान्तरित होने की तारीख को भारत सरकार से वसूले जाने/उस को देय रकमों को फलाने के लिए केन्द्रीय लोक-

निर्माण विभाग की लेखा पद्धति के अन्तर्गत ऋण, डिपाजिट और धन पारेषणों के तहत डिविजन अफसरों द्वारा बुक किए गए सौदों का विश्लेषण किया जा रहा है।

9. क) प्रयोगाधीन परिसंपत्तियों का जायजा लेने के लिए निगम की परियोजनाओं में एक समीक्षा की जा रही है। जहाँ तक समीक्षा पूर्ण हुई है, परिसंपत्तियों को चालू पूंजी कार्यों से स्थिर संपत्तियों में हस्तांतरित कर दिया गया है।

ख) बैरा-स्यूल परियोजना में, वास्तविक कीमत की सूचना तुरंत न उपलब्ध होने के कारण, परिसंपत्तियों में हस्तांतरित कर दिया है।

10. संशोधित मूल्य ह्रास नीति के अनुसार 31-3-1980 तक की मूल्य ह्रास की व्यवस्था की गई है। पहले के वर्षों में व्यवस्थित अधिक/कम मूल्य ह्रास का समायोजन कर दिया गया है सिवाए लोकतक परियोजना से सम्बद्ध हस्तान्तरणपूर्व अवधि के संयंत्र तथा मशीनरी, जैसा नोट नं० 13 में दिया गया है और 1979-80 में लोकतक से बैरा स्यूल को भेजी गयी मशीनरी के बारे में। चालू पूंजी कार्यों से हस्तान्तरित की गई परिसंपत्तियों के बारे में जिस वर्ष परिसंपत्तियों का प्रयोग शुरू हुआ उससे अगले वर्ष से मूल्य ह्रास की व्यवस्था की गई है। 31-3-1980 तक जमा मूल्य ह्रास संशोधित नीति के अन्तर्गत प्रभारित 412.92 लाख रु० की तुलना में 565.30 लाख रु० होता।

11. मणिपुर में अशांति के कारण, सांविधिक लेखा परीक्षक गण लेखा परीक्षा के लिए स्थल पर न जा सके। आवश्यक रिकार्ड कारपोरेट कार्यालय में ही दिखा दिये गए। फिर भी, क्यों कि सहायक लेखा पुस्तिकाएँ और दस्तावेज सं० में बहुत थे, लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों को ये उपलब्ध न कराए जा सके।

12. क) मणिपुर सरकार इथाई बेराज तथा परियोजना के सिंचाई अवयवों को दर्शाने वाली लोकतक परियोजना में पावर चैनल के निर्माण मूल्य का अंश देने को सहमत हो गई है। 31-3-1980 तक किए गए कार्य के लिए मणिपुर सरकार का अंशदान का हिस्सा 299.62 लाख रु० बनता है। निगम को यह परियोजना हस्तांतरित होने से भारत सरकार ने मणिपुर सरकार से 61.10 लाख रु० प्राप्त किया था। यह राशि परियोजना के हस्तान्तरण मूल्य में शामिल की जा चुकी है। इसके बदले में 16,85.30 लाख रु० की सिस्सा पूंजी और 15,47.32 लाख रु० की ऋण पूंजी लेखों में दिखाई गई है। निगम ने ऋण पूँजी को 61.10 लाख रु० तक कम कर देने का प्रश्न भारत सरकार से उठाया हुआ है।

ख) 238.52 लाख रुपये की रकम (पिछले वर्ष 201.29 लाख रु०) जो मणिपुर सरकार से अंशदान दर्शाती है और जिसमें 61.10 लाख रु० शामिल नहीं है, पूंजी रिजर्व के तौर पर दिखायी गयी है।

13. लोकतक परियोजना में 299.48 लाख रु० की रकम के विविध उपस्कर की मद (पिछले वर्ष 307.90 लाख रु०) हस्तान्तरण पूर्व अवधि की है जिसका विवरण एकत्रित किया जा रहा है। पूरा ब्यौरा मिल जाने तक 10% के तदर्थ दर के आधार पर मूल्य ह्रास प्रमाणित किया गया है।

14. बैरा स्यूल में हस्तान्तरण पूर्व परिसंपत्तियों एवं देयताओं की समीक्षा अभी पूरी होनी है। अतः हस्तान्तरणपूर्व देयताओं एवं परिसंपत्तियों के विवरण को नहीं फलाया जा सका। इसके परिणाम स्वरूप सहायक खातों तथा नियन्त्रण लेखों के मध्य समाधान पूरा न हो सका।

15. क) बैरा स्यूल परियोजना में वर्ष का स्टाक तथा स्थिर संपत्तियों का वास्तविक सत्यापन प्रशासनिक समस्याओं के कारण पूरा नहीं किया जा सका। प्रशासनिक समस्याओं का अंत अब हो गया है। सत्यापन का कार्य अब शुरू कर दिया गया है।

ख) बैरा स्यूल परियोजना में, हस्तान्तरण-पूर्व स्टाक लेखा जो तीन शीर्षों के अन्तर्गत संचालित था यानी स्टाक सस्पेन्स, विविध लोक निर्माण कार्य, पेशगी व खरीद (क्रेडिट) के समाधान होने तक बुक बैलेंस को स्टाक इन हैंड मान लिया गया। ठेकेदारों के लेखों तथा अन्य सहायक रिकार्डों का भी समाधान किया जा रहा है।

16. बैरा स्यूल परियोजना के बारे में 36.39 लाख रु० इलैक्ट्रिसिटी सस्पेन्स हैड में क्रेडिट बैलेंस की समीक्षा हो रही है और अगले वर्ष समायोजन किया जाएगा।

17. बैरा स्यूल परियोजना में वर्ष 1978-79 के दौरान भारी वर्षा तथा भूस्खलन के कारण हुई क्षति अनुमानतः 64 लाख रु० है। अन्य क्षतियां दुर्घटनाओं के कारण लगभग 49.42 लाख रु० है फिर भी अभी भी मामलों की जांच हो रही है और अन्तिम समायोजन जांच पूरी हो जाने के बाद ही हो सकेगा।

18. बैरा स्यूल परियोजना ने सलाल जलविद्युत परियोजना से ऋण के तौर पर जो उपस्कर लिए थे उसके किराया प्रभार के रूप में 6.65 लाख रु० की अनुमानित व्यवस्था की है।

19. बैरा स्यूल परियोजना में निर्माण संयंत्र और मशीनरी के परिचालन एवं रख रखाव संबंधी 146.00 लाख रु० की राशि चालू कार्यों की प्रयोग दरों पर 92.00 लाख रु० के वास्तविक खर्च के बदले में डेबिट की है। 54.00 लाख रु० के अंतर की जांच हो रही है।

20. क) बैरा स्यूल परियोजना के बैंक में निगम खाते में 8.69 लाख रु० डेबिट किये हैं जिसके अनुरूपी इन्दराज निगम बहियों में पास नहीं किए गए हैं क्यों कि यह मालुम नहीं है कि डैबिट किस प्रकार के हैं।

ख) बैरा स्यूल परियोजना के बारे में 1.31 लाख रु० के निकाले गए खाते और 0.13 लाख रु० के जमा खाते में अंतर की जांच हो रही है।

ग) निम्न बैंक बैलेंस पुष्टि के अधीन है :-

I) नेपाल राष्ट्र बैंक, काठमांडू 16.30 लाख रु०

II) नेपाल बैंक लि० त्रिशूली 12.9 लाख रु०

21. क) भारत सरकार ने निर्माण के दौरान पूंजीकरण की अनुमति दे दी है। सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि पंजीकृत ब्याज की राशि निगम को इक्विटी पूंजी और ऋण में 1:1 के अनुपात से जारी किया जाएगा। निगम की बहियों ब्याज देयता की मुक्ति उस पूंजी में से दिखाएगी जो सरकार से देश में ही प्राप्त हुआ है। पूँजीकृत ब्याज वर्ष वार तथा परियोजना वार से फलाया जाएगा और बजट व्यवस्था वार्षिक योजना व्यय में इक्विटी पूंजी और ऋण के तौर पर 1:1 अनुपात में की जाएगी।

ख) निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च में भारत सरकार से ऋणों पर 1480.06 लाख रु० का ब्याज (पिछले वर्ष 762.42 लाख रु०) शामिल है।

22. निगम ने राजस्व कार्य आरम्भ नहीं किए हैं। इसके अतिरिक्त बोनस अदायगी अधिनियम की धारा 10 (i) के अन्तर्गत बोनस देय नहीं है। अतः बोनस के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

23. लेखा परीक्षकों के खर्च का 15,680 रु० पिछले वर्षों से संबद्ध है। चालू वर्ष के अनुमानित 20,000/- रु० के खर्च की व्यवस्था नहीं की गई है।

24. पार्टियों के डेबिट तथा क्रेडिट में पड़ी राशियां पुष्टि/समाधान के अधीन है।

25. पिछले वर्ष के आँकड़े चालू वर्ष के आँकड़ों के अनुरूप करने के लिए जहाँ कहीं व्यवहार्य हुआ समुचित रूप से पुनः क्रमबद्ध कर दिए गए हैं।

26. 1979-80 वर्ष के लिए कट आफ तिथि यानी 20.4.1980 तक मालूम हुई देयताओं के लिए व्यवस्था हो गई है। बैरा स्यूल परियोजना के मामले लगभग 32.81 लाख रु० की कुछ देयताएं परियोजना लेखों के अन्तिम चरण में कट आफ तिथि के बाद सामने आईं, उनकी व्यवस्था नहीं हो सकी।

27. लेखा विवेचन के बनने तक बैरा स्यूल द्वारा अन्य परियोजनाओं/सरकारी विभागों से वसूल की गई राशियाँ स्टाफ लेखा में क्रेडिट कर दी गई हैं। ये राशियाँ वर्तमान इशूदारों से अधिक दरों पर जारी की गई सामग्रियों तथा पर्यवेक्षणों प्रभार के रूप में थीं। एक मामले में 40,000/- रु० की सामग्री का मूल्य जो स्टाक में क्रेडिट होना चाहिए था, पूंजी लेखा पर आवतियाँ तथा वसूलियों में क्रेडिट कर दी गई हैं।

28. निर्माण लेखा के दौरान तुलन पत्र तथा प्रासंगिक खर्च जिसे निदेशक मण्डल ने 6 अगस्त, 1980 को अपनाया और उसी दिन लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट हुआ, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत लेखा परीक्षा के दौरान भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा किए गये प्रेक्षणों के परिप्रेक्ष्य में संशोधित कर दिए हैं।

अनुसूची 'ट'

कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची VI के भाग--II के अन्तर्गत अपेक्षित अतिरिक्त सूचना

1. **कर्मचारियों पर खर्च**

			1979-80	1978-79
उन कर्मचारियों पर खर्च जो वर्ष भर नियुक्त रहे और कम से कम 36000/- रु० प्रति वर्ष या वर्ष के किसी अंश नियुक्त रहे और 3000/- प्रतिमास वेतन लिया।	क) सारे वर्ष भर नियुक्त रहे			
	i) कर्मचारियों की संख्या		7	4
	ii) वेतन व मजदूरी	(रु०)	2,80,164	1,32,481
	iii) परिलब्धियों का मूल्य	(रु०)	6,883	38,246
	ख) वर्ष के आंशिक भाग नियुक्त रहे			
	i) कर्मचारियों की संख्या		7	1
	ii) वेतन व मजदूरी	(रु०)	1,57,543	11,150
	iii) परिलब्धियों का मूल्य	(रु०)	—	3,150

(इसमें सलाल व देवीघाट परियोजनाओं पर नियुक्त कर्मचारी शामिल नहीं हैं। ये दोनों परियोजनाएं एजेंसी आधार पर पूरी की जा रही हैं और इन कर्मचारियों का वेतन भारत सरकार से प्राप्त डिपाजिटों में डाला जाता है न कि निर्माण के दौरान निगम प्रासगिक व्यय में)

फिर भी, सलाल व देवीघाट परियोजनाओं की सूचना नीचे दी जा रही है :-

		सलाल	देवीघाट
क) सारा वर्ष काम पर लगे			
i) कर्मचारियों की संख्या		1	5
ii) वेतन व मजूरी	(रु०)	36,413	2,22,156
iii) परिलब्धियों का मूल्य	(रु०)	3,036	—
ख) वर्ष के अंश के लिए नियुक्त			
i) कर्मचारियों की संख्या		—	3
ii) वेतन व मजूरी	(रु०)	—	10,616
iii) परिलब्धियों का मूल्य		—	—

टिप्पणी : 1. ग्रेच्युटी की रकम हिसाब में नहीं ली गई है क्योंकि उसकी बीमांककीय के आधार पर व्यवस्था है।

2. देवीघाट के कर्मचारियों के पारिश्रमिक में विदेश भत्ता शामिल है।

			1979-80	1978-79
2. **विदेशी मुद्रा में हुआ खर्च**	i) जानकारी	(रु०)	20,63,727	—
	ii) अन्य मामले			
	क) टेंडरों की खरीद	(रु०)	2,323	754
	ख) पुस्तकें, मियादी पत्रिका व जरनल	(रु०)	6,509	—
	ग) विदेशी दौरे	(रु०)	16,290	9, 287
3. **बरते फालतू पुर्जों और अवयवों का मूल्य (देसी तथा आयातित दोनों)**				पता नहीं लगा
4. **आयातित संयंत्र व मशीनरी तथा स्पेयर्स का मूल्य**		(रु०)	1,20,08,469	17,33,077
5. **लाइसेंस/प्रतिष्ठापित क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन**				
			लोकतक	**बैरा स्यूल**
	i) लाइसेंस क्षमता		लागू नहीं	लागू नहीं
	ii) प्रतिष्ठापित क्षमता		3x35 मे. वा.	3x60 मे. वा.
	iii) वास्तविक उत्पादन		—	—

एन. वी. रामन
सचिव

वी. सुब्रामनियन
निदेशक (वित्त)

पी. एम. बेलिअप्पा
अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक

कृते आर. के. खन्ना एण्ड कं०
चार्टर्ड एकाऊंटैंट्स

अनिल के खन्ना

भागीदार

नई दिल्ली
सितम्बर 20, 1980

लेखा नीतियाँ

1. मूल्य ह्रास

स्थिर परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास की व्यवस्था सीधी रेखा विधि पर परिसंपत्तियों के शेष मूल्य को मूल कीमत के 10% पर रखते हुए की जाती है। मूल्य ह्रास के उद्देश्य से विभिन्न परिसंपत्तियों का जीवन अवधि निम्न से अपनाई गई है :-

i) ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग) गजट अधिसूचना सं० जी. एस. आर. 272 (ई) दिनांक 27-3-1979 और

ii) भारत सरकार, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जारी गाइड पुस्तिका की अनुबद्ध सूची :

कुछ नए उपस्कर जैसे एल्पाइन माइनर, कन्टीन्यूअस कंक्रीटिंग मशीनें, टेलिस्कोपिक शटर्स, आदि के मामले में जीवन विधि निगम द्वारा किए गए निर्धारण के आधार पर ली गई है। जहाँ तक दूसरे तथा तीसरे श्रेणी के भवनों का संबंध है, जीवन अवधि सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा जारी गाइडलान्स (अधिसूचना सं० बी.पी. ई(15)-एडव. फिन/69 दिनांक 8-8-1969) में निर्दिष्ट दरों के आधार पर ली गई है।

जैसा कि दिनांक 27-3-1979 की गजट अधिसूचना में व्यवस्था है, पूरे वर्ष का मूल्य ह्रास उस लेखा वर्ष से वसूला जाता है जिसके बाद के कि परिसंपत्ति विशेष प्रयोग में आनी शुरू हुई।

2. मूल्यन

क) अन्तर परियोजना/पूंजी कार्यों के लिए यूनिट भण्डार हस्तान्तरण कीमत मूल्यित होते हैं।

ख) एक यूनिट से दूसरे को हस्तान्तरित निर्माण संयंत्र व मशीनरी कीमत पर मूल्यित होती है। इसमें मूल कीमत दर्शाते हुए वह मूल्य ह्रास कम कर दिया जाता है जिसकी व्यवस्था उस परियोजना द्वारा पहले से ही की गई होती है जिस ने कि संयंत्र और मशीनरी हस्तान्तरित की है।

3. ग्रेच्युटी :

ग्रेच्युटी फंड में अंशदान की व्यवस्था बीमांकिक एक्च्युरियल मूल्यन के आधार पर की गई है।

4. विनिमय की दर :

आयातित उपस्कर/सेवाओं के लिए अदायगी के लिए देयता का आंकन अदायगी की तारीख को प्रचलित विनिमय दर के संदर्भ में होता है।

5. वर्गीकरण :

वर्गीकरण आमतौर पर प्राकृतिक लेखा शीर्षों के अनुसार होता है।

6. चालू पूंजी कार्यों का स्थिर परिसंपत्ति लेखा में हस्तान्तरण :

चालू पूंजी कार्यों से स्थिर संपत्तियों में संपूर्ण हुई परिसंपत्तियों का हस्तान्तरण कीमत पर किया जाता है।

7. डिजाइन व्यय का आबंटन

परियोजना से संबंधित कारपोरेट कार्यालय में हुए डिजाइन खर्चों का आबंटन संबंधित परियोजनाओं को दी गई सेवाओं की मात्रा पर आधारित होता है।

लेखा परीक्षकों की सदस्यों की रिपोर्ट

हमने मैसर्स नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि० के 31 मार्च, 1980 के अनुबद्ध तुलन पत्र तथा निगम के उसी तारीख को समाप्त होने वाले प्रासंगिक व्यय विवरण का लेखा परीक्षण किया है जिसकी रिपोर्ट नीचे दी जा रही :-

1. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (4ए) के अंतर्गत कम्पनी विधि बोर्ड द्वाराजारी किए गए निर्माता व अन्य कम्पनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 1975 के अनुसार पैरा 4 और 5 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण संलग्न अनुबन्ध में प्रस्तुत हैं।

2. ऊपर पैरा 1 में संदर्भित हमारी टिप्पणियों के अतिरिक्त हम रिपोर्ट करते हैं कि :-

देखें लेखाओं की व्याख्यात्मक टिप्पणियों की टिप्पणी सं० 11 और 14। इन टिप्पणियों में उल्लिखित लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में, हम लोकतक और बैरा स्यूल परियोजनाओं पर परिसंपत्तियों व देयताओं तथा वसूलियों का विस्तृत सत्यापन न कर सके। हमारी उपरोक्त टिप्पणी के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि :-

क) हमने सभी सूचनाएं व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी व विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

ख) जहाँ तक निगम के लेखों की जांच से मालूम होता है हमारी राय में निगम ने कानून द्वारा अपेक्षित समुचित लेखे रखे है।

ग) निगम का तुलन पत्र और इस रिपोर्ट से संबंधित निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय के ब्यौरे तथा लेखा पुस्तकों में अनुकूलता है।

घ) हमारी राय व जानकारी तथा हमें प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार संबद्ध लेखे, लेखा नीतियों तथा उनकी अंग व्याख्यात्मक टिप्पणियों और निम्न बातों के अधीन इन लेखों से कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत अपेक्षित :

i) 31 मार्च, 1980 को निगम की परिस्थितियों के तुलन-पत्र के संबंध में, और

ii) निगम के उस तारीख को समाप्त निर्माण के दौरान व्यय के प्रासंगिक खर्च तथा उसके प्रभाजन की सही व उचित जानकारी मिलती है :-

टिप्पणी सं० 9 (ख)	बैरा स्यूल परियोजना पर स्थिर संपत्तियों का पंजीकरण अनन्तिम मूल्य पर के संबंध में;
टिप्पणी सं० 13	लोकतक परियोजना में गैर शिनाख्त विविध उपस्कर संबंधी;
टिप्पणी सं० 15 (क) व (ख)	बैरा स्यूल में स्टाक का असली सत्यापन तथा उसका मूल्यन संबंधी;
टिप्पणी सं० 17	बैरा स्यूल परियोजना में हानि के लिए व्यवस्था न करने संबंधी;
टिप्पणी सं० 19	बैरा स्यूल परियोजना पर निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी के प्रचालन एवं रख-रखाव पर खर्च के समंजन संबंधी :
टिप्पणी सं० 20 (क) (ख) व (ग)	बैंक खातों में अन्तर और बैंक शेष की अपुष्टि संबंधी;
टिप्पणी सं० 24	डेबिट और क्रेडिट बैलेंसों की पुष्टि/ समाधान संबंधी।

टिप्पणी सं० 26	कट आफ तिथि के बाद देयताओं की व्यवस्था न होने के बारे में; और	टिप्पणी सं० 27	सामग्री का विवेचन ऊँची दरों पर के संबंध में ।

कृते आर. के. खन्ना एण्ड कम्पनी,
चार्टर्ड एकाऊंटैंट्स

आसफ अली रोड,
नई दिल्ली :
दिनांक : सितम्बर 20, 1980

अनिल के. खन्ना
भागीदार

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबन्ध

संदर्भ : उसी तारीख की हमारी रिपोर्ट का पैरा-1

1. निगम ने उचित रिकार्ड रखे हैं जिसमें पूरे ब्यौरे दिखाए गए हैं सिवाय परिसंपत्तियों के स्थितीय ब्यौरों के। प्रबंधक वर्ग ने प्रमाणित किया है कि लोकतक परियोजना तथा कारपोरेट कार्यालय में प्रयुक्त परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन वर्ष की समाप्ति पर किया गया था और इस प्रकार के सत्यापन पर कोई गम्भीर विसंगति नहीं मिली। फिर भी लोकतक परियोजना के बारे में ब्यौरों का सत्यापन, लेखों की टिप्पणी सं० 11 में बताए तथ्यों के कारण नहीं हो सका। प्रयोग में आ रही परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन, जैसा कि बैरा स्यूल परियोजना पर लेखों की टिप्पणी सं० 15 (क) में स्पष्ट किया गया है, नहीं किया गया।

2. इस वर्ष के दौरान किसी भी प्रयोगाधीन स्थिर परिसंपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है।

3. प्रबंधक वर्ग ने प्रमाणित किया है कि भंडार और फालतू पुर्जों का वास्तविक सत्यापन शाश्वत सूची प्रणाली के आधार पर किया जा चुका है और वर्ष के अन्त पर लोकतक परियोजना में पूंजी भंडार का वास्तविक सत्यापन कर लिया गया है। इस प्रकार किए गए सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण कमी दृष्टिगोचर नहीं हुई। फिर भी लेखों की टिपप्णी सं० 11 में बताए अनुसार वास्तविक सत्यापन न किया जा सका। जैसा कि लेखों की टिप्पणी सं० 15 (क) में बताया गया है कि बैरा स्यूल परियोजना ने भंडार और फालतू पुर्जों का वास्तविक सत्यापन नहीं किया है। बैरा स्यूल परियोजना में फालतू पुर्जों और भंडारों के मूल्यित भंडार खाते भी अपूर्ण थे।

   प्रबन्धक वर्ग ने यह प्रमाणित कर दिया है कि भंडार का मूल्यन खरीद पर किया गया है। फिर भी बैरा स्यूल परियोजना के बारे में अपूर्ण मूल्यित भंडार खातों के कारण तथा इस कारण कि कोई वास्तविक सत्यापन नहीं हुआ था, लेखों के उद्देश्य से भंडार के बही आंकड़े लिए गए हैं। खरीद पर भंडार के मूल्यन का आधार सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप है और पहले वर्षों के आधार पर ही है।

4. निगम ने न तो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे गए रजिस्टर में दर्ज कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कोई कर्ज लिया है और न ही कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 370 (1-ग) के अन्तर्गत कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कोई ऋण लिया है।

5. निगम ने केवल अपने कर्मचारियों को ही ऋण दिया है। कर्मचारी निर्धारित अनुसार मूलधन राशि चुका रहे हैं और ब्याज की अदायगी करने में भी नियमित हैं।

6. हमारी राय में तथा हमारे लेखा परीक्षा के दौरान दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार भंडारों, फालतू पुर्जों संयन्त्र व मशीनरी, उपस्कर तथा अन्य परिसंपत्तियों की खरीद के लिए कम्पनी के आकार और व्यापार की किस्म के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया मौजूद हैं।

7. निगम ने किसी ऐसी फर्म, कम्पनी या अन्य पार्टियों, जिनमें किसी निदेशक की दिलचस्पी हो, से 10,000/- से अधिक मूल्य के कोई भंडार या इतने ही मूल्य के कोई फालतू पुर्जे नहीं

खरीदे हैं।

8. प्रबन्धक वर्ग ने प्रमाणित किया है कि लोकतक परियोजना में बेकार तथा क्षतिग्रस्त भंडारों को जान लिया गया है और इस प्रकार की क्षतियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। बैरा-स्यूल परियोजना में बेकार और क्षतिग्रस्त भंडार का निर्धारण नहीं किया गया है। अतः अपेक्षित व्यवस्था के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।

9. निगम ने जनसाधारण से किसी प्रकार की धनराशि (डिपाजिट) स्वीकार नहीं की है।

10. किसी प्रकार के उपोत्पादनों या रद्दी माल आदि का उत्पादन नहीं किया जाता। अतः इस संबन्ध में रख-रखाव रिकार्ड रखने की आवश्यकता नहीं है।

11. निगम की अपनी एक आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली मौजूद है, जो हमारी राय में इसके कार्य के आकार प्रकार के अनुरूप है।

12. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1) (डी.) के अन्तर्गत मूल्य रिकार्डों का रख-रखाव केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है।

13. कम्पनी भविष्य निधि की रकमें समुचित प्राधिकारियों के पास जमा कराने में आमतौर पर नियमित है।

कृते आर. के. खन्ना एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाऊंटैंट्स

आसफ अली रोड,
नई दिल्ली :
दिनांक : सितम्बर 20, 1980

अनिल के. खन्ना
भागीदार

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

मुझे यह कहना है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०, नई दिल्ली के 31 मार्च, 1980 को समाप्त वर्ष के लेखों की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं है।

हरबंस लाल
सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड
एवं पदेन निदेशक, वाणिज्य लेखा परीक्षा

भोपाल
दिनांक : 25 सितम्बर, 1980.

ध्यानगढ़ लूप (सलाल परियोजना)

विषय सामग्री मैसर्स [illegible] प्रिंटर्स, सी-22, मॉडल टाउन, दिल्ली-110009 में मुद्रित ।

Designed and Produced by Newfields Advertising Pvt. Ltd. and Printed at Excello Press Inc.